TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 2, अंक : 02 आजमगढ़ • अगस्त 2022 • मूल्य : ₹30

आजादी के 75 साल और दलितों का संघर्ष

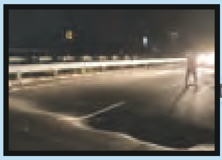

बुंदेलखण्ड़ एक्सप्रेस-वे की सच्चाई सिर्फ 5 दिनों आई सामने

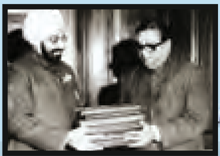

मंडल आयोग रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष

ये कैसी आजादी ?

संपादकीय आज़ादी जारी है...

साथियों,15 अगस्त 2022 को भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं| सवा सौ करोंड़ देश वासियों (अधिकृत आकड़ा नहीं) में अभी भी करोंड़ों लोग हैं, जिनके सामने भारत की आज़ादी यानि (15 अगस्त 1947) का दिन आज़ादी का दिन लेकर आया था| तब एक सपना देखा गया था भारत के लोगों द्वारा, भारत को कैसा बनाया जाएगा| हर वर्ष पूरे देश के लिए एक इवेंट की तरह मनाया भी गया| जन जन का उत्साह धीरे-धीरे बढ़ता गया| बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी को उत्सव के रूप में आने का इंतजार भी करने लगे| स्कूल, कालेज, सरकारी दफ्तर, अख़बारों, टी.वी. रेडियो पर गानों में इसका आगाज हफ्ते भर से लेकर महीनों तक चलता रहता| इस समय तो सरकार पूरे तंत्र के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है| हर सरकारी विभागों में बड़े-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं|सरकारी स्तर पर इवेंट पर इवेंट हो रहे हैं| इस बार 15 अगस्त को घर-घर तिरंगा हर घर तिरंगा फहराया जाएगा| आज़ादी को सेलेब्रेट करने का दिन जो है.... तो आज़ादी सेलेब्रेट होनी चाहिए|हां, आजाद देश में आज़ादी (कुछ शर्तों के साथ) सारे देशवासियों को मिली, एक साथ मिली| आज आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में उसकी ऑडिट भी होनी चाहिए| भारत के लोगों को बोलने, खेलने, घूमने, सीखने, पढ़ने, आगे बढ़ने, लिखने, विरोध करने, स्वतंत्र विचार और बहुतायत वे बातें जो संविधान में लिखी गई,क्या उनकी आज़ादी है? है तो कितनी है? कितनी और चाहिए आज़ादी? इसका लेखा जोखा 15 अगस्त 2022 को संसद से लेकर सड़क, गली-मुहल्लों, चौराहों, चरवाहों, हरवाहों, खेतिहरों, आदिवासियों से लेकर स्कूलों सरकारी दफ्तरों ही नही घर-घर होना चाहिए| "क्या है आज़ादी" इसका भी विश्लेषण/संश्लेषण/ मंथन होने की जरुरत है| हमें चाहिए 'आज़ादी का नारा' का नारा अगर कहीं लगे तो क्या उस पर प्रश्न उठना चाहिए? क्या हमें अभी और आज़ादी चाहिए, तो कितनी और किससे, कहाँ-कहाँ गुलाम हैं, उसका लेखा जोखा, लेखन-भाषण, सिनेमा, साहित्य और गली चौराहों से लेकर चरवाहों के बीच होना पड़ेगा| जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों की संख्या भारत में लाखों नही बल्कि हज़ार में थी| इतने बड़े देश में जो बुद्ध का देश रहा, बसुधैव कुटुम्बकम का देश रहा, उसमे कुछ हज़ार और लोगों को साथ रखकर चलने या अंग्रेजों के भारत न छोड़ने से हमारा क्या बिगड़ सकता था, इसपर भी लेखा जोखा रिसर्च/ पीएचडी होनी चाहिए| कुछ हज़ार अंगेज चले गए तो उस खाली जगह के विविधता भी लोगों में से कैसे भरा गया? आज उसका स्वरुप क्या है, उस पर भी आजाद मन से लेखा-जोखा प्रस्तुत होने और चौराहों/चरवाहों के बीच होनी चाहिए| नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी के बाद अंग्रेज वहीं रह गए| साथ साथ चलने और आगे बढ़ने का नमूना भी पेश कर रहे हैं तो क्या यह माडल हमारे देश के लिए उपयुक्त न होता?अंग्रेजों के जाने के बाद के आजाद भारत में आज़ादी का फायदा, किसको कितना मिला? लोगों की पहुँच कश्मीर से कन्याकुमारी या एक कोने से दूसरे कोने तक में रोक- टोक कितनी हटी? हम उस देश के वासी हैं जहाँ दिशाशूल भी होता है| सोमवार-शनिवार को पूरब जाने से मनाहीं थी| लोग कानून से बढ़कर स्वयं 20-40 साल पहले तक इस कानून का पालन करते रहे| किसने बनाया यह कानून पता नही, लेकिन बृहस्पतिवार को दक्षिण जाने और लात खाने का डर हिंदी पट्टी में अभी भी है| इससे आज़ादी पानी होगी, इसके लिए तार्किक लेखन, सिनेमा और सोशल मीडिया पर अभी भी लड़ाई लड़ा जाना बाकी है क्योंकि चौराहे पर गाडियां भले ही दिशाशूल से आजाद हैं, पर चरवाहे, खेतिहर कम्युनिटी के लोगों में अभी भी इसको लेकर डर है| इसको लेकर खुलकर बोलने-लिखने की आज़ादी तो होनी चाहिए पर 70-75 वर्षों के साहित्य, सिनेमा, मीडिया आदि में कुछ खास दिखाई नही पड़ता |आज़ादी को लेकर वैसे तो किताबें लिखी जा सकती है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, पर आज़ादी में सबसे ज्यादा जरूरी है अभिव्यक्ति की आज़ादी| आपकी सोच बाहर आनी चाहिए, इस पर कुछ न्यूनतम शर्तों तक ही रोक टोक होनी चाहिए| कबीर अगर अपने समय में भी कह सकते हैं कि तू बम्हनी का जाया, आन बाट क्यों नही आया? पंडित वाद वदंते झूठा, कहने की आज़ादी थी तो उस व्यवस्था/ समाज को सलाम ठोकना चाहिए जो कबीर को इतना आज़ादी देती है| कबीर खुदा को बहरा कह गए और उस समय का सुल्तान जो इस्लाम मानने वाला था, उसने क्या सुलूक किया इसका विवरण इतिहास में नही मिलता| पर इतिहास के विद्यार्थियों को इस पर पीएचडी करनी चाहिए कि कबीर की लड़ाई आज़ादी की लड़ाई थी या नही? वह लड़ाई अभी चल रही है या हम भारत के लोग उससे आजाद हो गए ? कबीर जैसा बोलना, अभिव्यक्त करना, गाना, सिनेमा बनाना आजाद भारत में लेखा-जोखा का विषय है| कबीर की मौत पर किस्से-कहानियाँ मिलाती हैं पर क्या उनके आज़ाद बोल तो उनकी मौत का कारण बने, इस पर विचार करने की जरूरत है| आज भारत के लोग इस मामले में कितना आज़ाद हैं? इस पर खुलकर जब किसी चौराहे/ चरवाहों के बीच चर्चा होने लगे तो समझो आज़ादी जारी है| इस अवसर पर एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा लाजमी है| पर देखने- समझने की बात यह है कि आदिवासी या किसी जाति/धर्म के व्यक्ति को पहुंचने की आजादी क्या सभी दफ्तरों/ स्कूलों/ सरकारी इमारतों में न्याय पूर्ण है? क्या आदिवासी विश्वविद्यालयों में वी.सी. हैं? नार्थ ईस्ट और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों के क्लास रूम में बच्चे पहुंच रहे हैं? क्या टीचर्स रूम और प्रिंसिपल तक पहुंचने की आजादी या माहौल है? क्या किसी गड़ेरिया, चमार, अहीर, केवट, भंगी की पहुंच अपने परंपरागत कार्यों से अलग होकर जाने की आजादी का वातावरण बना? सिनेमा के पात्र में/ चित्रण में इन जातियों के लोग नहीं पहुंचे लेकिन इनको क्या अपने विश्वास को मानने और धार्मिक आजादी के अनुकूल अवसर है? क्या घोड़ी पर चढ़ने की आजादी के आजादी के 75 वर्षों बाद थाना-कचहरी की मदद तो नही लेनी पड़ रही है? क्या कोई चाहे कि अपनी जाति समाप्त करना, बदलना या छोड़ना चाहे, तो उस आज़ादी का माहौल है? या कि दिशाशूल की तरह लोग जाति के बंधन और जातीय श्रेष्ठता, दंभ और हर जाति सीढ़ीवार एक दूसरे से श्रेष्ठ होकर अपनी जाति में ही रहना शुभ मान रहे हैं, जो लोकतंत्र के साथ चल ही नही सकती, जैसा कि डॉ आंबेडकर का मानना था । अगर जाति अभी तक जिंदा है इसपर आज़ाद मन से सोचने की जरूरत है।फिलहाल नया अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ ...

TITLE CODE : UPHIN49731
आज़मगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह - अगस्त
सन् - 2022 ▪ वर्ष - 2 अंक - 02

बसावन इंडिया

संपदक
नरेन्द्र प्रताप

सह-सम्पादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध सम्पादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार, विक्रमजीत, बिनिका दुर्गम, कमलेश यादव मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - परिभाषा
लखनऊ - देशराज (एडवोकेट)
छत्तीसगढ़ - डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादुर
महाराष्ट्र - अकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कुशीनगर - कोमल प्रसाद
वाराणसी - विजय कुमार
बलिया - विनय कुमार
देवरिया - डॉ. सुनील कुमार
गोरखपुर - डॉ. विरेन्द्र कुमार
सरगुजा संभाग - कृष्णा पैकरा

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आउट
इरफान खान - +91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश पिन- 276 001
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व तथागत शहीद द्वारा सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन-276 001 से प्रकाशित

इस अंक की झलकियां

ये कैसी आजादी?	2
आजादी के 75 साल और दलितों का संघर्ष	5
बसावन इंडिया - घटना चक्र	8
जातीय जनगणना रिपोर्ट : ग्राम सभा-चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा, जिला- प्रयागराज	13
बलिया बीचे बलमा	18
जात और बेजात का संवाद	20
जातीयता और मर्द सत्ता से एक साथ लड़ी वो फूलन थी	21
हिंदू कौन है	24
डिलिस्टिंग को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों?	28
ठेले पर पुस्तकालय	31
एनसीईआरटी की किताबों में स्लैबस की कटौती	33

11 **बुद्ध की भूमि कहीं युद्ध की भूमि न बन जाय?** - वर्ष 2022 के मई महीने संपन्न तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद् सांस्कृतिक महोत्सव में पूरे देश के लोग...

14 **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में नहीं है कोई अध्यक्ष और सदस्य, आयोग का कामकाज बंद** - राष्ट्रीय पिछड़ा...

16 **नमामि गंगे : क्या हुआ तेरा वादा?** - 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि.

23 **घट रही कांवरियों की संख्या** - मैंने कई दिन शास्त्री ब्रिज पर प्रयागराज में अनुमान लगाया दिन भर खड़े रहिए तो इक्का-दुक्का लोग दिखाई पड़ते...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

ये कैसी आजादी?

▪ नरेन्द्र प्रताप

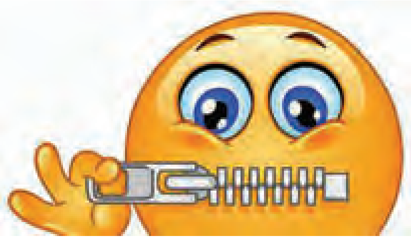

वर्तमान में देश में भावनाएं आहत होने का चलन चल गया है, जैसे कि भावनाएं न हो कर छुईमुई का कोई पौधा हो जो छूते ही मुरझा जा रहा है। यह बुद्ध का देश है जहाँ उन्होंने भगवान को नहीं माना। कबीर का देश है जिन्होंने खुले आम धर्म की आलोचना की, ब्राहम्न वाद वदंते झूठा कहकर ब्राह्मणवाद पर सीधा प्रहार किया। फूले ने तो गुलामगीरी में ब्राह्मणवाद की धज्जियाँ उड़ा दी। पेरियार और अंबेडकर ने खुलकर जातिवादी और गैर बराबरी वाले अपने विचार व्यक्त किए।

हम स्वतंत्र भारत के एक परिपक्व लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जिसमें लोगों को वाक एंव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी हमारे संविधान ने दी है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। हालांकि संविधान में इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं।जो बाकायदा संविधान में दी गई हैं, इसके बावजूद भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबन्दी लगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। लोगों को थाना-पुलिस कोर्ट- कचहरी का चक्कर लगवाया जा रहा है। जो इस सिस्टम से बच जा रहे हैं उनके ऊपर हमले किये जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही है और उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। चिंतकों के खिलाफ मुकदमा दायर

प्रो. दिलीप मंडल

प्रो. मंडल न्यायपालिका पर लगातार लिखते रहे हैं।यह खबर लिखे जाने के दौरान की उनकी ताजी पोस्ट कि EWS कोटे की सुनवाई के लिए 1290 दिन हो गये है अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई|जनहित याचिका को सुनवाई होने तक EWS को जारी रखने दिया गया न्यायपालिका द्वारा। यह है उनकी पोस्ट –

इस तरह की पोस्ट के लिए तिवारी जी ने भारत के एटार्नी जनरल को पत्र लिखा लेकिन दिलीप मंडल की सधी हुई लेखनी पर एटार्नी जनरल ने भी मना कर दिया।

प्रो. रतनलाल

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग पर टिप्पणी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल पर दिल्ली पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। साथ ही उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं।प्रो रतन लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा देना) और धारा 295ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर जानबूझ कर भावनाएं आहत करने के इरादे से किए गए दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रो रतन लाल ने बताया कि उन्हें पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी गई गई है, उन्हें जो भी जानकारी मिली है वह सोशल मीडिया के जरिए मिली है। प्रोफेसर रतन लाल ने बताया कि इस घटना के सामने आने के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के अलग- अलग प्लेटफार्म पर लोग उन्हें यह धमकियां दे रहे हैं।साथ ही उनका कहना है कि उनके 20 वर्षीय बेटे को भी धमकियां मिल रही हैं जो कि एक चिंताजनक बात है।

प्रशांत कनौजिया

स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था और तब से एक ट्वीट पर हिरासत में रखा गया था, प्रशांत कनौजिया को जेल की हवा खानी पड़ी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 17 अगस्त को दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि कनौजिया के ट्वीट से कानून-व्यवस्था को खतरा है। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया था कि हमने पाया कि ट्विटर और व्हाट्सएप पर, सुशील तिवारी को बदनाम करने के इरादे से हिंदू सेना के सुशील तिवारी से ली गई एक फेसबुक पोस्ट को मॉर्फ किया गया था। प्रशांत कनौजिया ने लिखा, "यह तिवारी जी का निर्देश है कि राम मंदिर में एससी/एसटी/ओबीसी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसके लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए।" आगे पुलिस का कहना था कि इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा होगा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो

कर या तो जेल भेजने की कार्यवाही की गयी या उन्हें थानों में बैठा कर उन्हें डराया धमकाया गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बोलने और लिखने पर उनकी सरकारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। जिनमें कुछ लेखक और पत्रकार हैं तो कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। जब इनपर ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो देश में नए विचार कहाँ से फलेंगे फूलेंगे?

मोहम्मद जुबैर

तथ्यों की जांच करने वाली वेबसाइट आल्टन्यूज (Alt-News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को एक हिन्दू देवता के विरुद्ध 2018 में किये गए एक आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक सोशल मीडिया यूजर ने वर्ष 2018 में जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी सेक्शन 153 ए (अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली गलत हरकत) के तहत शिकायत दर्ज की है। इंडियन एक्सप्रेस को पुलिस सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक जुबैर के खिलाफ हनुमान भक्त नाम के ट्विटर यूजर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें एक अन्य मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं भेजी गई थी जोकि उस सेक्शन के तहत जरूरी है जिसके तहत जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सिन्हा का कहना है कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद उन्हें एफआईआर कॉपी नहीं दी गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया में कहीं पर भी यह बेहद जरूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी कहने की अनुमति दी जाए और पत्रकारों को बिना किसी भय के अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए. वहीं दूसरी तरफ एक गैर सरकारी संगठन 'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' (सीपीजे) ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। वाशिंगटन में सीपीजे के एशिया कार्यक्रम समन्वयक स्टीवन बटलर ने कहा कि जुबैर की गिरफ्तारी से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का स्तर और नीचे चला गया। सरकार ने सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाले प्रेस के सदस्यों के लिए एक असुरक्षित शत्रुतापूर्ण माहौल बना दिया है। उन्होंने मांग की है कि अधिकारियों को तत्काल और बिना किसी शर्त के जुबैर को रिहा करना चाहिए और उन्हें बिना किसी दखलंदाजी के अपनी पत्रकारिता करने देना चाहिए।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो रविकांत चंदन पर शारीरिक हमला और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. रतनलाल को एक फेसबुक टिप्पणी के लिए प्रताड़ित करने के बाद यह सिलसिला बिहार पहुंच गया है। हालिया घटना में जेपी विश्वविद्यालय के डा दिनेश पाल पर शारीरिक हमला किया गया है

प्रोफेसर रविकांत चंदन

लखनऊ विश्वविद्यालय के दलित प्रोफेसर रविकांत चंदन, जो काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर पर अपनी टिप्पणियों के बाद चर्चा में हैं, एक सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्र ने उन पर हमला किया।प्रोफेसर ने कहा, "दोपहर 1 बजे, सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति में, कार्तिक पांडे नाम के एक छात्र ने प्रॉक्टर के कार्यालय के सामने जातिवादी टिप्पणी कर मुझ पर जानलेवा हमला किया।"लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षक पर हमला करने के आरोप में कार्तिक पांडे को निलंबित कर दिया है और मामले की आगे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। पुलिस कार्तिक पांडे को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जाँच शुरू कर दी।

डॉ. दिनेश पाल

डॉ. दिनेश पाल जय प्रकाश विश्वविद्यालय,छपरा की अंगीभूत इकाई नन्द लाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर-दाउदपुर (सारण) के हिन्दी विभाग में कर्मठ और विद्वान सहायक प्राध्यापक हैं। शिक्षक के साथ

ओमनाथ बिंद

युवा नेता

सोशल मीडिया पर लिखने बोलने पर केस दर्ज करवा कर लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है, जिससे डर कर लोग सरकार के खिलाफ लिखना और बोलना छोड़ दें। सरकार नहीं चाहती है कि उसकी नाकामियां जनता जान पाए। इसीलिए तरह-तरह के दमनकारी रवैया अपनाया जा रहा है। पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भावनाओं के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ भी लिखिये पढिये 125 करोड़ भारत की आबादी में किसी न किसी की तो भावनाएं आहत ही होंगीं, इसका मतलब यह है कि लिखना और बोलना छोड़ दिया जाय। भावनायें व्यक्तिगत होती हैं। भावनाएं आहत होने के नाम पर लिखने और बोलने वालों के खिलाफ केस कर उन्हें कोर्ट कचेहरी के चक्कर लगाने को मजबूर किया जा रहा है। नहीं तो गुंडे भेज कर उस पर हमले किए जाते हैं। अलग-अलग तरीकों से लिखने और बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है। जो इससे बच जा रहे हैं उन्हें फोन या सोशल मीडिया पर धमकी दी जाती है, नहीं तो उनके घरों पर गुंडे भेजकर हमले करवाए जा रहे हैं।

अजीत यादव

प्रयागराज जिले के बहरिया के कंपोजिट विद्यालय सराय ख्वाजा में तैनात शिक्षक अजीत यादव को मात्र इसलिए बर्खास्त कर दिया गया की उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ पर टिप्पड़ी करने का आरोप है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने कौड़िहार के खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा को विभागीय जाँच का काम सौपा। मिश्रा जी के रिपोर्ट के आधार पर यादव जी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अजित यादव ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को एक सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि हमें सिर्फ यादव जाति से होने के नाते परेशान किया जा रहा है तंज कसते हुए कहा कि जब जज भी वही और मुंसिफ भी वही तो आखिर न्याय की उम्मीद किससे करें। जांच अधिकारी मिश्रा और बीएसए प्रवीण तिवारी हैं तो कोई भला क्या उनसे उम्मीद करें। हमारे खिलाफ जबरिया चार्जशीट लगायी गयी हैं कि उक्त प्रकरण में इनकी संलिप्तता पाई जाती है। जो एफ आई आर दर्ज हुआ है उसमें ना समय का अंकन है ना दिन का अंकन है पूर्व अध्यक्ष व शिक्षक ने कहा यदि कोई भी मीटिंग या कार्यक्रम वा जनसभा होती है तो उस कार्यक्रम को करने के लिए शासन से परमिशन लिया जाता है यदि ऐसा है और हमने कहीं बोला है तो उस कार्यक्रम और स्थान दें जो परमिशन लिया गया था पुलिस को उसके बाद चार्जशीट में दाखिल करना चाहिए। केवल राजनीति से प्रेरित लोग झूठा आरोप लगाकर फंसाने का काम कर रहे हैं। अजीत यादव सरकारी सेवा में आने से पूर्व छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे 2003 में उपमंत्री और 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके हैं।

वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन चिन्तक हैं। डॉ. दिनेश पाल ने अपने फेसबुक एकाउंट पर ज्ञानवापी पर एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लीची का फोटो पोस्ट करते हुए इसे कथित तौर से शिवलिग के रूप में दिखाया है। इसमें लिखा है कि वाराणसी के ज्ञानवापी में कोई लीची को आधा काटकर मत रख दे, वरना वीडियोग्राफी जो आधा-एक इंच का है, वह टीवी चैनल के ब्रेकिंग न्यूज में चार से बारह इंच का भी हो सकता है। इसके बाद यह फोटो वायरल हो गया। डॉ. दिनेश पाल ने इसके पहले भी नवरात्र में महिषासुर की वंदना करने वाला पोस्ट डाला था। इस समय भी बवाल मचा था। इन पर लगातार हिदू देवी-देवताओं पर टिप्पणियां करके भावनाओं को भड़काने का आरोप विद्यार्थी परिषद लगा रही है।

भावनाओं के आहत होने में यह देखने मे आया है कि जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं वे एक वर्ग विशेष से हैं और जिन लोगों ने भावनाएं आहत की है बहुजन समाज से हैं। यहाँ भावनाओं के नाम पर वर्ग विशेष बहुजनों पर दबाव बना रहा है। जिसके लिए वह बाकायदा कानून का सहारा ले रहा है।

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से घातक है। जिस प्रकार लोगो में लिखने को लेकर आतंक पैदा किया जा रहा है उसके देखते हुए आने वाले दिनों में लोग सरकार और कुरीतियों के खिलाफ लिखना और बोलना बंद कर देंगे। यह भले ही सरकार के हित में हो लेकिन देश और जनता के हित में कभी नहीं होगा। यह इमरजेंसी के हालत से कम नहीं होगा। ▪

नरेन्द्र प्रताप

मो.न.- 9453171770

आजादी के 75 साल और दलितों का संघर्ष

केंद्र सरकार आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इन 75 सालों में कहां है दलित बहुजन समाज और कहाँ है उसकी आज़ादी?

• कवल भारती

दो सवाल जहन में उभरते हैं। पहला, इन 75 सालों में भारत की दलित जातियों के लोगों को कितनी आजादी मिली? और दूसरा, इन 75 सालों में दलित जातियों के लोगों ने कितनी तरक्की की? ये दोनों सवाल इतने अहम हैं कि इनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि इन दोनों सवालों पर दो बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। पर मैं यहां बहुत ही संक्षेप में बात करूंगा।

पहले सवाल को लेते हैं। आजादी के बाद से ही दलित जातियों लोगों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गईं और आज भी बनाई जाती हैं। इन योजनाओं के पीछे यह भाव रहता है कि "हमें दलितों के लिए कुछ करना है।" मुझे इस संबंध में डॉ. आंबेडकर का एक कथन आज भी प्रासंगिक लगता है। उन्होंने एक बार कहा था कि अक्सर हिंदू नेताओं को यह कहते सुना जाता है कि "हमें दलितों के लिए कुछ करना है।" पर किसी भी नेता को, जो दलितों की समस्या में रुचि रखता है, यह कहते हुए नहीं सुना जाता कि "हमें सवर्ण हिंदूओं को बदलने के लिए कुछ करना है।" वे कभी नहीं कहते कि हिंदूओं को कैसे सुधारें? या उनके रूढ़िवादी विचारों में कैसे परिवर्तन लाएं?

डॉ. आंबेडकर बिल्कुल ठीक कहते थे कि दलित समस्या अस्पृश्यता की समस्या है। हिंदू इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दलित उनके अपने समाज के नहीं हैं। वे हिंदूओं के लिए पराए हैं और यह परायापन उन दोनों के बीच हमेशा बना रहता है। इसी कारण से दलितों और सवर्णों के बीच आज भी स्वाभाविक मित्रता नहीं होती। वे दलितों के साथ राजनीतिक मित्रता तो कर सकते हैं, क्योंकि इस मित्रता से उन्हें सत्ता में आने का अवसर मिल सकता है, पर वे उनसे सामाजिक मित्रता नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी मित्रता उनके धर्म के विरुद्ध जाती है। दिलचस्प है कि हिंदू इसे गलत भी नहीं मानते, क्योंकि यह उनके धर्म का मामला है, और शायद इसीलिए वे दलितों की दयनीय स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार भी नहीं मानते हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां जहन में आता है, जिसे डॉ.आंबेडकर ने भी अपने समय में उठाया था कि भारत में दलित संतों और नायकों के सामाजिक समानता के आंदोलन क्यों सफल नहीं हो सके? क्या उनके मित्र या समर्थक नहीं थे? यदि वे थे, तो उन्होंने दलितों का समर्थन और सहयोग क्यों नहीं किया? उन्होंने इस आंदोलन का इसलिए समर्थन नहीं किया, क्योंकि वह आंदोलन उनकी नजर में हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोह था। यह तो आरक्षण का कानून है, जो दलितो को पढ़ने-लिखने और नौकरियों के अवसर देता है, वरना, हिंदू बहुमत आज भी उन्हें अनपढ़ रखकर उनसे गुलामी के काम ही कराना चाहता है। इसलिए आज यही हिंदू बहुमत उनके आरक्षण के विरुद्ध आवाज उठाता है। यही हिंदू बहुमत संसद में दलितों के मुद्दे पर चर्चा से गायब रहता है और यही हिंदू बहुमत आज भी अस्पृश्यता का पूरी दृढ़ता से पालन करता है। यही हिंदू बहुमत और उनके शंकराचार्य और धर्मगुरु मंदिरों में दलितों के प्रतिबंध को जायज ठहराते हैं। कौन इंकार करेगा कि यह साढ़े सात दशकों की आजादी की कहानी नहीं है? हालांकि राजनीतिक आजादी सभी को मिली है, पर सामाजिक और आर्थिक आजादी अभी भी सबके हिस्से में नहीं आई है, और दलित जातियां इसमें सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं।

दलितों की राजनीतिक आजादी और प्रगति पर चर्चा जरूरी है। यह इसलिए भी कि 1932 के पूना पैक्ट से शुरु हुआ दलित राजनीति का सफर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (आरपीआई) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) तक, भारत की 75 वर्ष की आजादी में मायने रखता है। निश्चित रूप से इसे लोकतंत्र की एक बड़ी विजय के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। लेकिन इस पर धैर्य के साथ विचार करना होगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में यह राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग तो है, पर यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि स्वतंत्र भारत में दलित जातियों के लोगों को अपनी पृथक राजनीति स्थापित करने की परिस्थितियां क्यों पैदा हुईं? दूसरे शब्दों में पृथक दलित राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह उन शासकों की असफलता नहीं है, जिनके हाथों में स्वतंत्र भारत की बागडोर आई? जिस कांग्रेस ने भारत पर चार दशकों तक निष्कंटक राज किया, उसने पूना पैक्ट के अनुपालन में राजनीतिक आरक्षण की खानापूरी के लिए दो तरह के दलितों को सांसद और विधायक बनवाया– (1) जो अशिक्षित थे और जिनमें कांग्रेस आलाकमान की 'जी-

क्या है आजादी का अमृत महोत्सव?

15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण हो रहे भारत का अपना एक सपना है, साथ ही उसे साकार करने का दृढ संकल्प भी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस यादगार वर्ष में भारत अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर अगले 25 साल की रुपरेखा बना रहा है, ताकि स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के समय भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में दिखे। लेकिन इसके लिए मजबूत नींव की जरूरत है, जिसे ध्येय बनाकर केंद्र सरकार ने ज्ञान-विज्ञान, तर्क और विश्वास को सहेजते हुए रखी है 'नए भारत' की नींव आजादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता का 75वां वर्ष, यह पीछे मुड़कर देखने और अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हुए उसे संजोने का अवसर भी है।

इसके लिए महान क्रांतिकारियों और जन साधारण ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यह संविधान सभा के उन सम्मानित सदस्यों को भी याद करने का वर्ष है जिन्होंने हमें अपने संविधान के द्वारा एक ऐसा मूलभूत अधिकार और शक्ति प्रदान की, जिस पर हर भारतवासी गर्व कर सकता है। यह आत्मनिरीक्षण का भी वर्ष है। साथ ही, एक बार फिर यह समझने का वर्ष है कि स्वाधीनता का अर्थ क्या है। हमारे लिए इसके मायने क्या हैं। पिछले सात दशकों में यह देश कितना आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें क्या करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है 'आईडिया ऑफ इंडिया' यानी 'भारत की अवधारणा' जो कई दशकों तक सिर्फ अकादमिक बहस का हिस्सा बनकर रह गई थी।

लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति ही नहीं, कामकाज का तरीका और सोच में भी अभूतपूर्व बदलाव दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ही, "मेरी भारत की अवधारणा' न केवल सहिष्णुता पर आधारित है बल्कि यह विचारों की विविधता का प्रसन्नता पूर्वक समावेश करती है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की संवेदना का सम्मान किया जाता है। भारत की अवधारणा' के केन्द्रीय सिद्धांत का सृजन सत्य, शांति और अहिंसा से होता है। हमारे शास्त्र 'सत्यमेव जयते' की शिक्षा देते हैं, जिसका अर्थ है कि विजय सत्य की ही होती है। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रतिबद्ध हूं जहां न्याय का चक्र वर्ग, जाति या पंथ से प्रभावित हुए बिना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तेजी से और सामान रूप से घूमता हो। एक ऐसा भारत जहाँ अन्याय के लिए किसी भी तरह की कानूनी और नैतिक वैधता न हो।

हजूरी' करने के सिवा कोई योग्यता नहीं थी, और (2) जिनकी योग्यता डॉ. आंबेडकर के परिवर्तनवादी मिशन से दलितों को दूर रखने की थी। परिणामत:, कांग्रेस के अशिक्षित दलित प्रतिनिधि सवर्णों के चमचा बने रहे और कांग्रेस के आंबेडकर विरोधी दलित प्रतिनिधियों ने अस्सी के दशक तक हिंदी पट्टी के शहर-कस्बों में डॉ. आंबेडकर को दलितों के बीच पहुंचने ही नहीं दिया। हालांकि यह स्थिति महाराष्ट्र में नहीं थी, पर वहां उसने आंबेडकर के आंदेलन को तोड़ने के लिए दूसरे तरीके अपनाए। कांग्रेस सरकारों की नीतियां सभी राज्यों में दलितों को कुछ योजनाओं तक सीमित रखकर, लाभार्थी बनाकर रखने की ही थीं, जिसका मकसद समाज में यथास्थिति बनाए रखने का था। कारण, अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मण शासकों ने पूरे देश में लोकशाही की आड़ में ब्राह्मणशाही कायम करने का काम बहुत तेजी से किया। भारत गणराज्य का पहला राष्ट्रपति ही 101 ब्राह्मणों के, न केवल पैर धोकर अपनी कुर्सी पर बैठा था, बल्कि उसने विशाल ब्रह्मभोज का अनुष्ठान भी किया था। और यह कहना गलत न होगा कि इसी ब्राह्मणभक्ति से कांग्रेस ब्राह्मणों की संरक्षक बन गई थी।

एक बार डॉ. मुल्कराज आनंद ने सम्पत्ति के मौलिक अधिकार के प्रश्न पर डॉ. आंबेडकर से पूछा था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था, "नेहरू की सरकार में केवल गैर-ब्राह्मणों ने मौलिक अधिकार के रूप में निजी सम्पत्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। किंतु बाबू राजेंद्र प्रसाद को इसी से लग गया कि नेहरू भारत को रूस बनाना चाहते हैं, और सवर्ण हिंदूओं ने व्यक्ति के अन्य अधिकारों को केवल निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संसद में लड़ने के लिए माना।" इसी से समझा जा सकता है कि सवर्ण हिंदू अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर भारत के सारे दलित आज गंदा काम करना बंद कर दें, तो देश का कोई गांव-शहर ऐसा नहीं होगा, जहां उनके ऊपर हिंसा न शुरु हो जाए। गुजरात इसका ताजा उदाहरण है।

डॉ. आंबेडकर दलितों को भी एक वर्ग मानते थे, जो भारत का सबसे कमजोर वर्ग है। उनका अपने समय के कम्युनिस्टों से असल विरोध इसी बात पर था कि वे भारत में वर्णव्यवस्था को नहीं देख रहे थे, जो सुस्पष्ट वर्ग-विभाजन है, और जिसने दलित को सबसे कमजोर वर्ग बनाकर रखा है। उनका कहना था कि इस सबसे कमजोर वर्ग को दबाकर समाजवाद नहीं लाया जा सकता। उन्होंने बहुत सही सवाल उठाया था कि जो समाजवादी यह सोचते हैं कि साम्राज्यवाद के खत्म होने के बाद भारत में पूंजीवाद के अवशेष भी खत्म हो जाएंगे, तो वे दिग्भ्रमित हैं। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी भारत में जमींदार, मिल मालिक, साहूकार और ब्राह्मणवाद रहेगा, जो गरीब जनता का खून चूसता रहेगा। इसलिए उन्होंने राजनीति में वर्गीय चेतना पर जोर दिया था। आंबेडकर की बात गलत नहीं थी। आजादी के बाद राजे-रजवाड़े, नवाबी और जमींदारी तो खत्म हुई, पर वे ही कांग्रेस में शामिल होकर देश के शासक भी बने और उन सबने मिलकर पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को इतना मजबूत किया कि उसके भार तले दलित जातियां कुचली जाकर कराहने लगी थीं। तमाम कागजी सरकारी योजनाओं के बावजूद, उनका दमन और शोषण जारी रहा। शहरों में थोड़ी बहुत तरक्की जरूर हुई, पर गांवों में वे गाजर-मूली की तरह काटे जाते रहे। दलितों की सामूहिक हत्याओं के इतने कांड देश के गांवों में हुए कि उनका लोमहर्षक वर्णन करने के लिए हजारों पृष्ठ चाहिए। गांवों में ही नहीं, कस्बों में भी, वे दलित, जिन्होंने सवर्ण हिंदूओं के अत्याचारों से बचने के लिए अपनी पशु से भी बदतर जिंदगी को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया था, पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुलाम बने रहे और अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ सके।

वे शिकायत करते भी, तो किससे करते? थानेदार से लेकर विधायक-सांसद तक उनके प्रति हमदर्दी नहीं रखते थे। आवाज उठाने वाले तमाम दलितों को या तो मार दिया जाता था, या झूठे मुकदमों में जेल भिजवा दिया जाता था। और, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी करना तो जैसे सवर्णों का जन्मजात अधिकार ही था। यही वह दौर था, जब पूरे भारत में गांवों से पीड़ित दलित जातियों का शहरों में पलायन हो रहा था। इस पलायन ने ही उनको संघर्ष करना सिखाया, हालांकि वहां भी वे आर्थिक रूप से कमजोर ही रहे, पर कुछ गांवों के रोज-रोज के जुल्म से बच गए थे।

स्थिति यह थी कि चुनावों में दलितों को वोट तक नहीं डालने दिया जाता था। उनके नामों के वोट सवर्ण खुद ही डाल देते थे। जो दलित वोट डालने का साहस करते थे, उन्हें लाठी-डंडों के सहारे खदेड़ दिया जाता था। शहरों में स्थिति कुछ भिन्न थी। चुनावों से पहले कांग्रेस के नेता दलित बस्तियों में जाते, एकाध हैंडपंप् लगवा देते, कुछ बच्चों का वजीफा बनवा देते, और उनकी पंचायत को बर्तन आदि खरीदने के लिए सौ-दो-सौ रुपए दे देते, बस बस्ती के सारे दलित वोट कांग्रेस को चले जाते थे। यही कांग्रेस का दलित उद्धार था। यह मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं अपनी बस्ती में इसका साक्षी हूं। कांग्रेस ने अपने चालीस वर्षीय साम्राज्य में दलितों के केवल वोट लिये। दलितों के लिए यदि कोई ढंग की लड़ाई लड़ सकता था, तो वह कम्युनिस्ट वर्ग था। भारत के कम्युनिस्ट नेता यदि चाहते तो कांग्रेस का एक बड़ा विकल्प तैयार कर सकते थे, दलितों में आत्मसम्मान पैदा कर सकते थे, उन्हें अधिकारों का पाठ पढ़ा सकते थे और उन्हें अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना सिखा सकते थे। पर गांवों का तो पता नहीं, मैंने अपने शहर में भी किसी कम्युनिस्ट नेता को दलित बस्ती में कभी नहीं देखा। इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता है कि वे भी सवर्ण ही थे, और दलितों के अछूत बने रहने से उनके भी सामाजिक हित पूरे होते थे।

ये ही वे सामाजिक परिस्थितियां थीं, जो पृथक दलित राजनीति का कारण बनीं। हिंदी पट्टी में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने दस्तक दी, और उसके दो शेरों बुद्धप्रिय मौर्य और संघप्रिय गौतम ने दलित वर्गों को डॉ. आंबेडकर के नाम और उनके आंदोलन से जोड़ दिया। परिणामतः, विचारों की एक नई दुनिया उनके सामने खुल गई, जो इससे पहले किसी दलित कांग्रेस नेता ने उनके सामनेनहीं खोली थी। पढ़े-लिखे लोगों ने डॉ. आंबेडकर की जीवनियां मंगाकर पढ़नी शुरु कीं। और देखते-देखते पूरा उत्तर प्रदेश नीले झंडों और हाथी के निशान वाले बैनरों से पट गया था। परिणामतः, 1967 में पहली बार 11 विधायक भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहुंचे, जो आंबेडकर आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। इसी दौर में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने पूरे देश में भूमिहीनों को भूमि देने का जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिसने सरकारों को भूमि देने के लिए बाध्य कर दिया था। पर, इस आंदोलन ने कांग्रेस की नींद हराम कर दी थी। और, फिर जो प्रतिक्रांति का खेल कांग्रेस ने शुरु किया, तो वह भारतीय रिपब्लिकन पार्टी को खंड-खंड करके ही खत्म हुआ और स्थिति यह हो गई कि अब वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फिर कभी कांग्रेस की गोद में चली गई। दोनों रिपब्लिकन शेर भी कांग्रेस और भाजपा में जाकर मिट्टी के शेरों में तब्दील हो गए।

इसी बीच कांशीराम का उदय हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी की बनी-बनाई जमीन तैयार मिल गई। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाकर दलित-पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को पार्टी से जोड़ा, और उन्हें कांग्रेस के शिकंजे से मुक्त करने का देशव्यापी अभियान चलाया, पर उन्हें सफलता उत्तर प्रदेश में ही मिली। निश्चित रूप से उन्होंने बहुजन राजनीति का सूत्रपात करके भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के अभाव को भर दिया। उन्होंने दलितों को स्वाभिमान दिया, संघर्ष की चेतना दी और उनकी मुक्ति का वह मार्ग दिया, जो सत्ता तक जाता था। उन्होंने पहला चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा, और उसमें आशातीत सफलता पाई। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की पहली गैर-ब्राह्मण सरकार बनी। कांग्रेस का सफाया हो गया। ब्राह्मणवाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में यह पहली सफल राजनीतिक लड़ाई थी, जिसने ब्राह्मण शासक वर्ग के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। तब पूरे देश में यह संदेश चला गया था कि संगठित और जागरूक बहुजन समाज ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस के कान खड़े हो गए। उसने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। लेकिन इससे आरएसएस की राजनीतिक पार्टी भाजपा के हित में एक अच्छा काम यह हुआ था कि बहुजन समाज कांग्रेस के जाल से निकल आया था, जो वह चाहता था। क्योंकि, भाजपा की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कमजोर होना जरूरी था। पर उसे बहुमत से सत्ता में आने के लिए संगठित और जागरूक बहुजन समाज को विखंडित करके उसे हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ना भी जरूरी था। अतः शीघ्र ही आरएसएस की प्रतिक्रांति शुरू हो गई। इस प्रतिक्रांति ने कांशीराम और मायावती को बड़ी आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनके वर्चस्ववादी राजनीतिक व्यवहार ने मुख्य भूमिका निभाई। बाद में बहुजन बुद्धिजीवियों के समक्ष भी यह रहस्य उजागर हो ही गया कि कांशीराम का एजेंडा वास्तव में आरएसएस का ही एजेंडा था। कांग्रेस के खिलाफ उनकी धिक्कार रैली और कम्युनिस्टों तथा वर्ग-संघर्ष के विरुद्ध उनकी जातीय राजनीति के पीछे आरएसएस का ही एजेंडा था। परिणामतः शीघ्र ही बहुजन राजनीति खत्म हो गई, उसके अनेक जुझारू नेता भाजपा और अन्य दलों में चले गए। बहुजन समाज पार्टी का हाथी गणेश बन गया और मायावती की सारी राजनीति भाजपा को लाभ पहुंचाने तक सिमटकर रह गई।

अब सवाल दलित या बहुजन राजनीति की चिंता का उतना नहीं है, जितना चिंतनीय प्रश्न यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कौन मना रहा है– दलित समाज या द्विज समाज? क्या आज़ादी के इन 75 वर्षों में अपनी अस्मिता, अपने अधिकार और अपनी भागीदारी के लिए दलितों का संघर्ष खत्म हो गया? क्या सचमुच उन्हें आज़ादी मिल गई? क्या वे उतनी ही स्वतंत्रता से अपनी स्वाधीनता का उपभोग कर रहे हैं, जितनी स्वतंत्रता से द्विज समाज कर रहा है? क्या यह सच नहीं है कि उनके कष्ट आज भी उतने ही हैं, जितने देश को आज़ादी मिलने से पहले थे? क्या आज भी वे सुरक्षित हैं? क्या उनका शोषण, उनका दमन, उनका बहिष्कार, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी, उन पर दबंगों और पुलिस का अत्याचार सब बीते जमाने की बात हो गई है? नहीं, दलितों के लिए इन 75 वर्षों में भी कुछ खास नहीं बदला है। वह आज भी एक लाभार्थी वर्ग की तरह इस देश में रहा रहा है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक के रूप में नहीं। वह बस लाभार्थी भर है, सरकार की कुछ योजनाओं, कुछ सुविधाओं, कुछ टुकड़ों का मोहताज! दे दिया तो खुश! नहीं दिया, तब भी खुश!! डॉ. आंबेडकर ने कितना सही कहा था कि स्वतंत्रता अगर किसी का लक्ष्य है, तो सिर्फ दलित वर्ग का है, हिंदूओं का लक्ष्य जनता को आज़ादी देना नहीं, बल्कि देश के संसाधनों पर कब्जा करना और अंग्रेजों का स्थान लेना है। कटु सत्य यह है कि दलितों को स्वतंत्र नागरिक माना ही नहीं गया। ▪

कवल भारती
मो.न.- 9412871013

बसावन इंडिया - घटना चक्र

राजस्थान में जिन मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी, उन्हें मिलेगा अनुदान

राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की वेबसाइट बनवा रहा है। इस वेबसाइट पर उन्हीं मंदिरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनके पुजारी ब्राह्मण हैं। बोर्ड इन मंदिरों के विप्र पुजारियों को आर्थिक संबल देने के लिए अनुदान भी देगा। बोर्ड सरकार से 4000-5000 रुपए तक का अनुदान देने की सिफारिश कर सकता है। उधर बोर्ड ने देवस्थान विभाग से राज्य के लगभग 40 हजार मंदिरों की सूची ली है। इस सूची में से उन मंदिरों की छंटनी की जा रही है जिनके पुजारी ब्राह्मण हैं। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य के मंदिरों के ब्राह्मण पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा। देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड मंदिरों के अलावा उन मंदिरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिनका अब तक कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन व अनुदान में सिर्फ विप्र पुजारियों को ही शामिल किया जाएगा।

प्रो. चौथीराम यादव को 'सत्राची सम्मान'-2022

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, प्रो चौथीराम यादव लोकचेतना के प्रमुख आलोचक और विचारक हैं। हिंदी साहित्य की भक्तिधारा के संबंध में विश्वविद्यालयी संकीर्णतावादी विचारों का तार्किक विश्लेषण करने वाले प्रगतिशील और वंचित धारा के प्रमुख आलोचक, चौथीराम जी सूर, कबीर और रैदास के वैचारिक और सामाजिक आन्दोलनों की सही पड़ताल करते हैं। वह मानते हैं कि भक्तिकाल में केवल एक वर्ग विशेष के लेखकों को सिरमाथे चढ़ाया गया जबकि वंचित वर्ग के संतों ने हाशिए के समाज को वर्णवादी पाखंडों से मुक्त कर, समतामूलक समाज की स्थापना का आह्वान किया। वह कहते हैं कि रामराज्य को आदर्श बनाकर पेश करने वाली चेतना ने दलित संत कवि रैदास की कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, बेगमपुरा को तवज्जो तक नहीं दी, जबकि रैदास कहते हैं : 'ऐसा चाहूं राज मैं जहं मिलै सबन को अन्न, छोट-बड़े सब सम बसै रैदास रहे प्रसन्न।' यानी समाज में समानता हो, सभी को अन्न मिले, सभी प्रसन्न रहें, यह कुलीनतावादी वैचारिकी को पसंद नहीं क्योंकि समानता की स्थिति में कुलीनतावादी दर्शन नहीं रह सकता. दरअसल चौथीराम, साहित्य में जहाँ खड़े होकर दहाड़ते हैं, वह साहित्य की धारा, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के हकमारी, उपेक्षा और शोषण के विरुद्ध ज्यादा मुखर है और ऐसी धारा को आज का कुलीनतावादी समाज, जो अकादमियों, साहित्य और सांस्कृतिक संस्थाओं पर काबिज है, पुरष्कृत नहीं होने देता। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में चौथीराम जी ने 'उत्तरशती के विमर्श और हाशिए का समाज', 'हजारीप्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन और लोकधर्मी साहित्य की दूसरी धारा', 'लोक और वेद: आमने सामने' जैसी मुख्य कृतियों के सहारे लोक चेतना को साहित्य में स्थान दिया है और कुलीनतावादी वैदिक विचारों को लोक के प्रतिकूल बताया है। इसलिए वह वंचितों के लेखक और विचारक हैं। यह वंचितों का सम्मान है।

यूरोपीय देशों में हीटवेव का कहर

यूरोप के मौसम में भी बड़ी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। यूरोप के सर्वाधिक ठंडे जलवायु वाले देशों में हीटवेव यानि 'लू' का कहर चारों तरफ आफत बनकर टूट रहा है। जंगलों में लगी आग प्राकृतिक सौंदर्यता को भयानक नुकसान पहुंचा रही है। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा इस समय भयंकर लू की चपेट में है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। स्विट्ज़रलैंड बेतहाशा गर्मी की मार झेल रहा है। फ्रांस, पुर्तगाल और ग्रीस के जंगलों में भी हीटवेव का कहर लाखों हेक्टेयर जमीन को जला रहा। स्पेन में हीटवेव के कारण पांच सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से हालात और भी बदतर हो सकते हैं।

आज़ादी के 75 साल बाद देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति

देश को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पहली महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने शपथ ले ली है। चीफ जस्टिस एनवी रमण (N. V. Ramana) ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई. इस दौरान संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से लेकर वेंकैया नायडू, ओम बिरला, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे. द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के बाद पूरा संसद भवन तालियों की आवाज़ से गूंज उठा. द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभजं जिले के उसर्बेड़ा गावं की रहने वाली हैं।

आटा दाल का भाव?

केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लगाने की घोषणा कर दी तथा उस विशाल मिडिल क्लास की क्रय क्षमता को और धक्का पहुंचाया। अब दही, लस्सी, पनीर, छाछ, मखाना, शहद, पैक आटा वगैरह जैसे रोजमर्रा की चीजों पर भी जीएसटी लगना 18 जुलाई से शुरू हो गया। इसके अलावा स्कूली बच्चों के काम में आने वाली कई सारी वस्तुओं जैसे पेंसिल, शार्पनर, पेपर कटर, ग्लोब वगैरह पर भी जीएसटी लगना शुरू हो गया है। होटलों में 1,000 रुपये से ऊपर के कमरों पर भी जीएसटी लगेगा तो अस्पतालों के बेड को भी नहीं बख्शा गया जैसे कि कोई शौक से अस्पताल में एडमिट हो रहा हो। पैक कर बेचे जा रहे सभी तरह के अनाजों पर अब जीएसटी की मार पड़ी है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग पैक दालें, चावल, मसाले, पनीर वगैरह ज्यादा पैसा देकर इसलिए खरीदते हैं कि ये साफ-सुथरे होते हैं और इनमें शुद्धता होती है तथा इनकी शेल्फ लाइफ कहीं ज्यादा होती है। अब इन पर भी पांच फीसदी जीएसटी लग गया है। यानी अगर पैसे बचाना हो तो खुला सामान खरीदिये जिन पर टैक्स नहीं है और न ही उस पर कोई ऐक्सपाइरी डेट लिखी हुई है। यानी आप अपने स्वास्थ्य की चिंता न करके खुले में मिलने वाला सामान खरीद लें|

महंगाई पर बोलना मना है ...

बढ़ती महगाई पर चर्चा की मांग कर अड़े रहे राज्य सभा के 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा में ये सांसद महगाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे उप सभापति ने इन्हें चेतावनी दी फिर भी नहीं मने ते उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। इनमे टीएम सी के सात, डीएमके के छह, टीआरएस के तीन, सीपीएम के दो और सीपीआई के एक सांसद समेत कुल 19 पर कार्यवाही की गई।

झारखंड में निजी क्षेत्र में होनेवाली नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण

विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने 'झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया है।

यह आरक्षण लागू होने के बाद अब राज्य के निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ता को 40 हजार रुपये तक के वेतन व मजदूरी वाले पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को बहाल करना होगा। इस नियुक्ति में कंपनियों, संगठनों व प्रतिष्ठानों को स्थानीय लोगों व परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों को नियुक्ति में उच्च प्राथमिकता देनी होगी। प्रविधानों के अनुसार नियुक्ति में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन कोई भी स्थानीय उम्मीदवार इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु जब तक पात्र नहीं होगा जबतक वह अपने आप को संबंधित पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवा लेता है। यह अधिनियम दुकानों, प्रतिष्ठानों, खदानों, उपक्रमों, उद्योग, कंपनियों, सोसायटी, न्यास, दायित्व भागीदारी फर्मों, भागीदारी फर्म और 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करनेवाले हर व्यक्ति और संस्थान पर लागू होगा। यह अधिनियम केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रमों पर लागू नहीं होगा।

बुंदेलखण्ड़ एक्सप्रेस-वे की सच्चाई सिर्फ 5 दिनों आई सामने

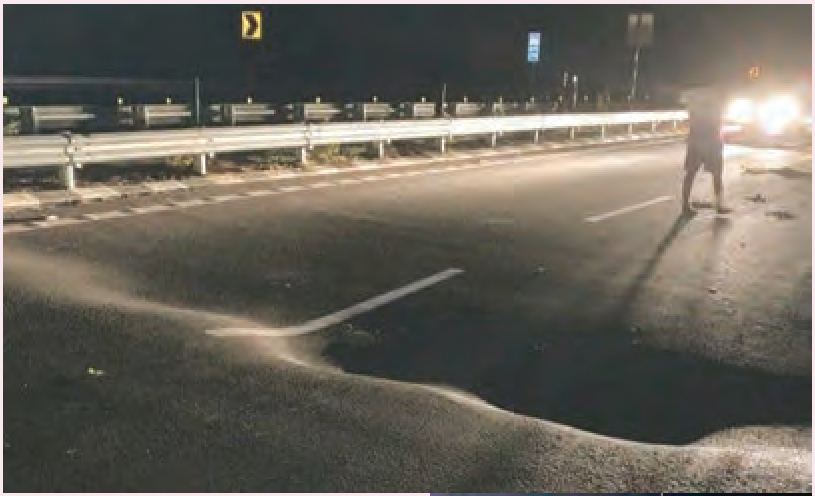

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के महज 5 दिन बाद पहली बारिश में बुंदेलखण्ड़ एक्सप्रेस-वे की सड़क कई जगह पर धंस गई। सड़क में करीब 1 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। वहीं रात को गड्ढे में फंसकर कई गाड़ियां पलटते-पलटते बचीं और कई राहगीर गिरकर चोटिल हो गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे लोकार्पण के छठवें दिन बांदा और इटावा में भी धंस गया। इटावा में चित्रकूट से आने वाली लेन पर किलोमीटर संख्या 288 से 296 के बीच छह स्थानों पर सड़क के किनारे बारिश में बहे मिले। वहीं, बांदा में मवई से हथौड़ा तक करीब 12 किलोमीटर दूरी में दोनों लेन पर 10 जगह किनारे की मिट्टी बहने से एक्सप्रेस-वे धंस गया। सड़क और पुल पर आठ से 10 जगह दरारें भी आ गईं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और भाजपा सांसद वरुण गाँधी ने इस पर ट्विट किया

भारत और भारतीय पासपोर्ट को अलविदा कह रहे हैं लोग?

देश को अलविदा कहने की होड़ सी लग गई है। 2020-2021 में 1.63 लाख भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। पांच साल पहले के मुकाबले ये संख्या अब दोगुनी हो चुकी है। भारत की नागरिकता छोड़कर जाने वालों का पसंदीदा देश अमेरिका है। 78,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता ली है। भारतीय लोगों की पसंद आमतौर पर पश्चिमी और अमीर देश ही है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारतीय ऑस्ट्रेलिया (23,533), कनाडा (21,597), ब्रिटेन (14,637) और इटली (5,986) जाकर बस गए। सवाल ये है कि ये लोग भारत और भारतीय पासपोर्ट को अलविदा क्यों कह रहे हैं। वह भी तब जबकि भारत अब एक स्थिर राष्ट्र के रूप में शक्ल ले चुका है, आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। अमृत काल का महोत्सव चल रहा है।

क्या ऐसे समय में हर साल डेढ़ लाख से ज्यादा समृद्ध और समर्थ भारतीय लोगों का देश छोड़कर चले जाना चिंता का कारण होना चाहिए?ये लोग भारत से मजबूरी में नहीं जा रहे हैं। ये मजबूरी का पलायन नहीं है।वे देश के सबसे समृद्ध और सामाजिक रूप से सबसे ऊपर की श्रेणी के हैं। लंदन स्थित एक वैश्विक नागरिकता सलाहकार फर्म हैनली ऐंड पार्टनर्स का कहना है कि इस साल भारत के 8,000 धन्ना सेठ हमेशा के लिए देश छोड़कर चले जाएंगे। ▪

बुद्ध की भूमि कहीं युद्ध की भूमि न बन जाए?

डॉ रमेश कुमार सुखदेव
अध्यक्ष
छ.ग. तर्कशील परिषद

वर्ष 2022 के मई महीने संपन्न तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद् सांस्कृतिक महोत्सव में पूरे देश के लोग सिरपुर आए हुए थे चूंकि अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है इस लिए विदेशों से भी लोग आये हुए थे। इसी दौरान 15 मई को बिहार समस्तीपुर से आये हुए दो व्यक्ति अशोक राय और रामबली राय एक गाइड को लेकर सिरपुर के विभिन्न उत्खनन स्थलों पर घुमाने गए, ये दोनों यादव थे गाइड ने भी अपना नाम का सरनेम यादव बताया। ये दोनों प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे। आपसी बातचीत में घनिष्ठता बढ़ी ये लोग घुमते घुमते ठाकुर तलाब से लगे नवनिर्मित ठाकुर मंदिर गए जहाँ पर बुद्ध की तीन चार मूर्तियों को कमर के नीचे कपड़ा पहना कर ठाकुरदेव के नाम से पूजा जा रहा था उन्होंने सफ़ेद कपड़ा उठाकर फोटो खींचा और विडिओ बनाया। कहा कि यह बुद्ध की मूर्तियों पर हिन्दुत्व का अतिक्रमण है। उन्होंने विडिओ बनाया जिससे की गाइड यादव ने वहां पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में अपने दोस्तों को बुलाया और थाने चले गए। कहा कि हमारे धर्म का अपमान हो रहा है यह मूर्ति चाहे जिस धर्म की रही हो कपड़ा हटाकर देखना और बुद्ध की मूर्ति कहना पुरातत्व विशेषज्ञों का काम है। इन लोगों ने ठीक नहीं किया और थाने में 15-20 लोगों के हुजूम में जा कर दबाव बनाया। थानेदार ने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है यहाँ देश विदेश के लोग आये हुए हैं ये लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। दोनों लोगों अशोक राय और रामबली राय पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। हमारी आयोजन समिति के लोग मै आरके सुखदेव, वीएस जगरिक, एलपी बनर्जी, रघुनन्दन साहू, संदीप नापित सहित हम लोग गये और समझौता हुआ। जिसमें आर्थिक लेनदेन के पश्चात् लोगों की भीड़ मान गई परंतु थानेदार धुरंधर ने संतुष्टि न जताते हुए 'उच्चाधिकारियों का निर्देश है' कह कर एफआईआर किया और दोनों को महासमुंद जिला मुख्यालय भेज दिया जहाँ जा हम लोगों ने जमानत कराया। इस तरह से बहुबल के आधार पर बुद्धिज्म को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. सुखदेव ने बताया कि लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण की कोई मूर्ति नहीं है। छठवीं सदी में बालार्जुन के कल में इसका निर्माण किया गया बाद में सातवीं सदी में महाशिवगुप्त के पुत्र लक्ष्मणदेव ने इसे इसे पूरा करवाया इसी कारण इसे लक्ष्मण देवालय भी कहा जाता है। 2015 में सुराग टीला में खुदाई के दौरान उसकी ऊंचाई लगभग दस फीट थी जो कि मिट्टी से ढका हुआ था जो जमीन से ऊपर सीढ़ी नुमा चबूतरा था उस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण कर उसमे पांचों खुदाईकर्ता एके शर्मा ने पर शिवलिंग स्थापित कर दिया।

खँडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी, सिरपुर के खंडहरों को देखकर कोई भी कह सकता है, सिरपुर बौद्ध वास्तुकला का अद्भुत हस्ताक्षर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री व्हेनसांग भी 643 वीं शताब्दी में सिरपुर आया था। उसने यहां के वैभव का अपने यात्रा वृतांत में उल्लेख किया है।उसने लिखा है कि मध्य भारत का यह भाग बौद्ध धर्म का स्तम्भ था। व्हेनसांग ने यह भी लिखा है कि यहां बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था।

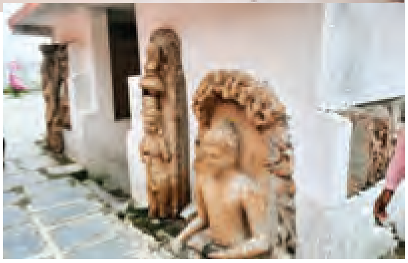

दक्षिणी-पूर्व एशिया से दूर-दूर के शिक्षार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिरपुर आते थे। दो मंजिला बौद्ध विहारों में एक समय 10,000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ाई करते थे।प्राचीन बौध स्थल सिरपुर देश के समृद्ध बौद्ध विरासतों में से एक है। पुरातात्विक स्मारकों, समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। उत्खनन में मिले बौद्ध विहार, बंदरगाह, बाजार को देखकर लगता है कि सिरपुर पांचवी से छठवीं सदी का विकसित नगर रहा होगा। जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते रहे होंगे। यहाँ के महानदी पर बने बंदरगाह और बाजार स्थल को देखकर लगता है कि देश के अन्य राज्यों से व्यापार उन्नत अवस्था में रहा होगा।

सिरपुर में खुदाई में मिले बौद्ध स्थलों के मूर्तियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया शुरू हो गया है। बौध स्थलों पर अतिक्रमण कर अयोध्या की पटकथा की तैयारी तो नहीं है? सिरपुर महोत्सव के दौरान बिहार से सिरपुर आये दो युवको को जेल की हवा खानी पड़ी। क्योंकि उन्होंने बौद्ध प्रतिमाओं को बौद्ध प्रतिमा कहा। ठाकुर जी की मूर्ति, जिसे हिंदू धर्मावलम्बी हिंदू देवता कहकर पूजा करते हैं। कपड़ा उठा कर बौध प्रतिमा होने का दावा किया और उसकी फोटोग्राफी कर ली। बाद में मास- भात और 12 हज़ार रुपये हर्जाना देकर किसी प्रकार से मामले को शांत किया गया।

बंदरगाह के प्लेटफार्म को शिव मंदिर की नीव के रूप में विकसित किया गया है। बौद्ध स्तंभों को सीधे सीधे मंदिर के स्तम्भ के रूप में उपयोग किया गया है, बीएस उसमे ऊपर के कलश को अलग से जोड़ा गया है। शिव मंदिर प्रांगन में बुद्ध की प्रतिमा को खुले में लावारिश हालत में छोड़ दिया गया है। मंदिर प्रांगण में बहुतेरी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो बौध वास्तु की हैं लेकिन हिंदू देवता कहकर उनकी पूजा की जा रही है।

सिरपुर में मिले ईंटों के मंदिर जिसे लक्ष्मण मंदिर नाम से जाना जाता है पूरी तरह से बौद्ध वास्तुकला पर बना है।मंदिर की दीवारों पर बौध चिह्न मिले हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लेते हुए बुद्ध को विष्णु का अवतार के रूप में पहले से प्रचारित कर दिया गया है।

लक्ष्मण मंदिर प्रांगन में स्थित सिरपुर म्यूजियम में चतुर्मुखी बुद्ध की प्रतिमा पर भी विवाद है। ▪

जातीय जनगणना रिपोर्ट

ग्राम सभा-चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा, जिला- प्रयागराज

जातीय जनगणना रिपोर्ट बसावन इंडिया का रेगुलर कालम है। बसावन इंडिया ने अब तक उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के 6 गांवों का रेंडमली चयन करते हुए जातीय जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन किया है। बसावन इंडिया द्वारा अबतक आजमगढ़ जिले की भरमा-डढ़िया ग्राम सभा, संत रविदास नगर के भक्तापुर ग्राम, अम्बेडकर नगर जिले की सेहरी लहिया ग्रामसभा, महाराजगंज जिले की महादेवा काशीराम, गाजीपुर जिले की खरगपुर ग्राम सभा और जौनपुर जिले की मुड़ावग्राम सभा की रिपोर्ट का प्रकाशन किया। बसावन इंडिया ने अपने इस अंक के लिए प्रयागराज जिले के चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा ग्रामसभा का चयन किया है। जिसकी रिपोर्ट चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा ग्राम के रहने वाले राममूरत यादव ने तैयार की है।

जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इंडिया को मेल कीजिए। बसावन इंडिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा।

चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा ग्रामसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1862 है। जिसमें कुर्मी, पासी, मुसलमान, कोंहार, अहीर, तेली,ब्राह्मण,बनिया, कायस्थ,लोनिया, कहांर, सोनार और कोइरी सहित कुल 13 जातियां रहती हैं।

चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा ग्रामसभा पिछड़ा बाहुल्य है। पिछड़ी जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 1187 है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 64 फीसदी है। पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक संख्या कुर्मी मतदाताओं की है। इसके बाद कोंहार हैं जिनकी संख्या 257 है। तत्पश्चात अहीर (197), तेली (153), कहार (26), सोनार(24), लोनिया(22) और कोइरी (11) मतदाता हैं।

चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा ग्रामसभा में सवर्ण मतदाताओं में ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ मतदाता है जिनकी कुल संख्या 125 है। जो कुल जनसँख्या का लगभग 7 फीसदी है। सवर्ण मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की संख्या 77 है। इसके बाद बनिया(27) और कायस्थ (21) हैं।

चक श्याम उर्फ़ पूरे हिंछा ग्रामसभा में अनुसूचित जातियों में,पासी मतदाता हैं जिनकी संख्या 252 है जो कुल मतदाताओं का लगभग 14 फीसदी है।

ग्रामसभा में मुसलमानों की संख्या 298 है। यह कुल मतदाताओं का 16 फीसदी है। ▪

राममूरत यादव
मो.न.- 8853988768

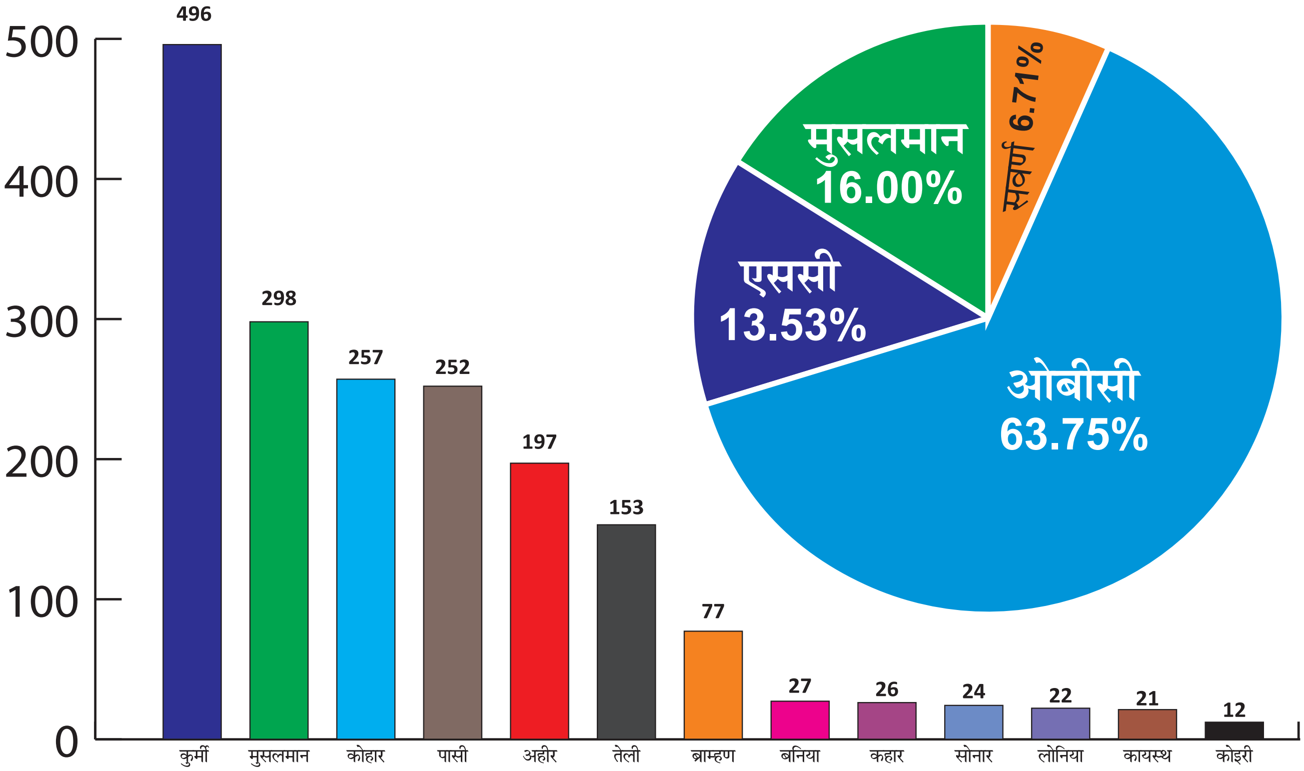

ग्राम पंचायत चुनाव मतदाता सूची 2021 के अनुसार ग्राम चक श्याम उर्फ पूरे हिंछा, जिला प्रयागराज

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में नहीं है कोई अध्यक्ष और सदस्य, आयोग का कामकाज बंद।

28/02/2019 में राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष सहित 3 अन्य सदस्य नियुक्त हुए, डॉ भगवान् लाल शाहनी को अध्यक्ष बनाया गया इनका कार्यकाल 3 साल ही रहा और 27/02/2022 तक ही आयोग की जिम्मेदारी निभाते रहे साथ ही 3 अन्य सदस्य भी 28/02/2019 से 27/02/2022 तक ही रहें, इसके बाद आयोग में सिर्फ उपाध्यक्ष ही बचे जो 08-03-2019 to 07-03-2022 तक रहें एक हफ्ते लेट से नियुक्त होने के कारण एक हफ्ते बाद इनका कार्यकाल समाप्त हुई जिसके बाद आज की स्थिति में आयोग में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई, लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी संवैधानिक दर्जे वाला आयोग निष्क्रिय है बिना अध्यक्ष सदस्य के वहां कुछ कम नहीं हो रहा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित 'संविधान 123वां संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई... ये खबर मिलते ही देश भर के समस्त ओबीसी जातियों में उत्साह और ख़ुशी की लहर दौड़ गई..

ये भारत की पिछड़ी जातियों का ऐसा संघर्ष था। जिसका इंतज़ार 5 दशक से किया जा रहा था, देश भर में जब मंडल कमीशन के सदस्य जब सर्वे कर रहें थे तभी से इसे संवैधानिक दर्जे मिले इसपर सदन पर चर्चा भी हुई, पिछले बार कांग्रेस सरकार द्वारा सदन पर विधेयक पेश किया गया था जिसमें एक सदस्य मुस्लिम सदस्य की अनिवार्यता पर तर्क दिया गया था लेकिन बीजेपी ने ओबीसी आयोग में मुस्लिम सदस्य पर असहमति जताते हुए, नामंजूर कर दिया था लेकिन वक्त बदला और सरकार भी लेकिन वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी पारी में देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने और मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही, इस बीच गौर करने वाली बात ये हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं और मंत्रिमंडल में ओबीसी को प्रतिनिधित्व देते हुए देश के बहुसंख्यक आबादी को ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द ही रखते हैं देश का माहौल हिन्दू मुस्लिम होते होते, दलित आदिवासी ओबीसी (जाति प्रभुता) हो गया है लेकिन इतना होते हुए भी देश के बहुसंख्यक समुदाय के हक़ अधिकार के लिए बने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूरी तरह से बंद हैं। देश भर से शिकायतों की चिट्ठी अब बंडल बन चुकी हैं उसे कोई देखने वाला न्याय नहीं। अब इस संवैधानिक आयोग को एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य का इन्तजार है।

सदन में जिस समय राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की चर्चा हो रही थी तब भी कोई अध्यक्ष सदस्य आयोग में नियुक्त नहीं हुए थे, 16/09/2016 को (NCBC) अध्यक्ष का आखिरी दिन था। बिना अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चलने वाले राष्ट्रीय ओबीसी आयोग में 10/02/2017 को अंतिम सदस्य का कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके बाद इस राष्ट्रिय महत्त्व के आयोग को फिर से निष्क्रिय कर दिया गया। देश के ओबीसी नेता जब हो हल्ला करने लगे तो सदन में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा वाले बहस के लिए सभी की आमंत्रित किया गया। पक्ष विपक्ष सभी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर सहमति देते हुए सहमती जताई। अगस्त 2018 को पूर्ण संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किये गए। लगभग 6 महीने बाद 28 -02-2019 को अध्यक्ष सहित 3 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए इसके एक हफ्ते बाद उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। इन नियुक्तियों के बाद देश भर से उम्मीदों के पत्र शिकायत (NCBC) नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास को मिलने लगे। इसी दौरान केंदीय विश्वविद्यालय में मात्र 2 ओबीसी प्रोफ़ेसर होने का मुदा भी उठा जिसमें डॉ. लक्ष्मण यादव ने सूचना के अधिकार का हवाला देते हुए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सीटे रिक्त होने और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी हकमारी पर आयोग को दखल देने की गुजारिश करते रहें, देखते देखते देश भर से ओबीसी समुदाय के जागरूक युवाओं ने अन्याय के खिलाफ आयोग को लिखना शुरू किया इसी कड़ी में ओबीसी संगठन ने भी प्रदेश स्तर की लापरवाहियों को उठाना शुरू किया और राष्ट्रीय ओबीसी आयोग अपने एक्शन मोड़ में कार्य करने लगा। अचानक से देश में ओबीसी समुदाय के हितकारी योजनाओं की चर्चा होने लगी,ओबीसी आयोग के कर्मचारी बत्ताते है कि सबसे अधिक शिकायत नौकरियों में आरक्षण को लेकर मिलती रही जिसमें आनारक्षित में आने के बावजूद उन्हें ओबीसी पर ही चुन लिया जाता था और ओबीसी विरोधी गतिविधियाँ होती रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि आज की स्थिति में वहां ओबीसी समुदाय के बारे में सुनने देखने वाला कोई हैं ही नहीं क्यूंकि राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य ही नहीं हैं।

आयोग द्वारा पिछड़ों के हित में लिए गये महत्वपूर्ण फैसले जो चर्चा में रहे

- उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सक्रियता दिखाई और अधिकारियो को कड़ी फटकार लगाई आयोग ने कहा कि यदि जबतक शिकायत कर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया गया तो आयोग कड़ा एक्शन लेगा।
- आयोग ने 12 दिसंबर 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर कहा था कि ओबीसी का जाति-वार सर्वे करने के लिए पर्याप्त बजट देने की जरूरत है। हालांकि सात मार्च 2019 को एक अन्य पत्र में जस्टिस रोहिणी ने गहलोत से कहा था कि 'हमने निर्णय लिया है कि फिलहाल हम ऐसा कोई सर्वे नहीं करेंगे.'
- डॉ. सहनी के कार्यकाल में आयोग ने सरकारी कार्यालयों में पिछड़े वर्गों की नियुक्तियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सभी मंत्रालयों व विभागों को पत्र लिखा था। इसके अलावा आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों की अपने स्तर पर व्याख्या की और उसे पहले के मुकाबले मजबूत दिखाने की कोशिश की। गृह मंत्रालय से भी टकराव के हालात पैदा हुए।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी टीचरों के पदों को रिक्त रखा गया था जिस पर विशेष भर्ती अभियान के लिए आयोग ने यूजीसी को एक पत्र लिखा और मानव संशाधन विकास मंत्रालय को इस पर दखल देने का निवेदन।जिसके बाद यूजीसी से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय को विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने और नियुक्त करने का आदेश पत्र जारी हुआ।

नागपुर के छात्र निरंजन कुमार ने मार्च 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक शिकायत पत्र भेजा था, जिसका विषय था कि ओबीसी वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित किये जाने के प्रयास हो रहे पिछड़े वर्ग की ओबीसी सीट के साथ न्याय नहीं हो रहा और रिक्त सीट के साथ छेड़छाड़ की गई, ये शिकायत तब की गई जब विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू होने वाला था, आज के समय में एडमिशन हो चुकी है और आयोग द्वारा कोई जवाब नहीं आया, निरंजन कुमार ने दिल्ली स्थित एनसीआरबीसी कार्यालय में जाकर इस सम्बन्ध में जानकारी चाही तो पता चला कि उनके पत्र को देखने वाला कोई नहीं है और उसे किसी अध्यक्ष सदस्य के इंतज़ार में रखा गया हैं एक तरह से आयोग बंद है आपके किसी पत्र शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

इसी तरह छत्तीसगढ़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सगुन वर्मा ने राष्ट्रीय आयोग में एक शिकायत दर्ज की प्रदेश में हो रही अल्पकालीन नियुक्ति में आरक्षण नहीं मिलने के सम्बन्ध में, भारत सरकार का हवाला देते हुए 90 दिन से अधिक किसी भी सेवा में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा इस आदेश की कॉपी को लगाकर आवेदन किया गया रायपुर से डाक पोस्ट करते हुए आयोग के मेल आईडी में पत्र अटेच कर प्रेषित किया, आयोग के वेबसाइट में दिए नंबर से जब ये जानकारी चाही गई कि उनके पत्र का क्या हुआ तो, आयोग के जिम्मेदार कर्मचारी ने उन्हें बताया कि आयोग का काम काज बंद है और जब तक नई नियुक्ति नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधनिक दर्जा मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पिछले 6 महीने से इसे बंद कर दिया गया ये देश के ओबीसी समुदाय के लिए विचारणीय प्रश्न है कि आखिर क्या हो गया, अभी तक इस पर राजनीति शुरू नहीं हुई है कि क्यों ओबीसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महत्त्व के इस आयोग में ओबीसी अध्यक्ष सदस्य नियुक्त नहीं किया, लेकिन युवा नेतृत्व इस मुद्दे को लेकर सतर्क है और खुले मंच से बोलना शुरू किये हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सचिव विमल साहू ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी में अगर कोई योग्य ओबीसी सदस्य अध्यक्ष के लिए नहीं है तो कुर्मी तेली समाज अपना प्रतिनिधि भेज देंगे। हमारा समाज सक्षम है कि इस संवैधानिक आयोग का संचालन कर सकता है ये मोदी सरकार की विफलता है कि आयोग को निष्क्रिय कर दिया गया है देशभर के ओबीसी समुदाय की बात को नहीं सुना जाता और न ही ओबीसी समुदाय के लिए कोई व्यवस्था बन पाई, एक मात्र ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जो हालात बने थे उसको भी रोक दिया गया है, बिना किसी जिम्मेदार पदाधिकारी को नियुक्ति नहीं करना देश के बहुसंख्यक ओबीसी के साथ छलावा हैं।

बहरहाल अगस्त 2018 में राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को एसटी/एससी आयोग की तरह ही संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिलने के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुआ, जिसके अनुसार राष्ट्रीय आयोग अब किसी भी ओबीसी जाति को केंद्रीय सूची में शामिल कर सकेगा। ओबीसी के उत्थान को लेकर बनने वाली सभी योजनाओं में भागीदारी होगी इसके पहले तक वह बाहर से मूकदर्शक की भूमिका में था। आयोग को अब दंड देने का भी अधिकार होगा। जैसी अभी एससी-एसटी आयोग के पास है। लेकिन अगर इस संवैधनिक आयोग को निष्क्रिय करना है और सरकार की मंशा हो कि इस आयोग के द्वारा कुछ काम न हो तो, सरकार स्वतंत्र है कि इसमें किसी को नियुक्ति न करते हुए इसे निष्क्रिय कर दिया जाए भले ही इसे संवैधानिक दर्जा ही क्यों न मिला हो। लेकिन ये एक राष्ट्रीय महत्व का आयोग है और इससे देश के ओबीसी समुदाय की भावनाए जुडी हुई है इसलिए जरुरी हो जाता है कि केंद्र सरकार आयोग की महत्ता को समझे और 6 महीने से सदस्य विहीन आयोग में जल्द से जल्द अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नियुक्त करें जिससे ओबीसी समुदाय को न्याय मिल सके। ▪

डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मो.न.- 9891903531

नमामि गंगे : क्या हुआ तेरा वादा ?

वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है।'प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में वादा किया था कि 2019 तक गंगा साफ कर दी जाएगी|2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, "अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है"।

गंगा की सेवा के लिए भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हो या न हों। लेकिन गंगा के कायाकल्प के लिए चलाई जा रही नमामि गंगे योजना भ्रष्टाचार की शिकार है, इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बाकायदा एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने नमामि गंगे योजना के प्रति अधिकारीयों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया|विभाग में नामामि गंगे योजना के अन्दर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है जो ग्राउण्ड पर जाने पर पता चलता है और जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरूद्ध करता हूँ तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। चाहें तो इसकी किसी एजेंसी से जांच भी करायी जा सकती है।

इससे पहले गंगा सफाई को लेकर चार महीनों तक अनशन पर रहे 86 वर्षीय पर्यावरणविद् प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मृत्यु हो गई थी। गंगा सफाई की मांग को लेकर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने पानी पीना बंद कर दिया था। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें जबरन ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका|उनकी मांग थी कि गंगा और इसकी सह-नदियों के आस-पास बन रहे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण को बंद किया जाए और गंगा संरक्षण प्रबंधन अधिनियम को लागू किया जाए। उन्होंने कहा था, 'अगर इस मसौदे को पारित किया जाता है तो गंगा की ज्यादातर समस्याएं लंबे समय के लिए खत्म हो जाएंगी। मौजूदा सरकार अपने बहुमत का इस्तेमाल कर इसे पास करा सकती है। मै अपना अनशन उस दिन तोडूंगा जिस दिन ये विधेयक पारित हो जाएगा।

अनशन के दौरान जीडी अग्रवाल ने कहा था, 'हमने प्रधानमंत्री कार्यालय और जल संशाधन मंत्रालय को कई सारे पत्र लिखा था, लेकिन किसी ने भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। मैं पिछले 109 दिनों से अनशन पर हूं और अब मैंने निर्णय लिया है कि इस तपस्या को और आगे ले जाऊंगा और अपने जीवन को गंगा नदी के लिए बलिदान कर दूंगा। मेरी मौत के साथ मेरे अनशन का अंत होगा.'एक संसदीय समिति, जिसने गंगा सफाई के लिए सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन किया था, ने बताया था कि गंगा सफाई के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं।

संसदीय समिति के अलवा नियंत्रक एवं

नमामि गंगे क्या है?

2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया है। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक के करीब 12 जिलों में मछलियों को छोड़ा जाएगा। ये जिले गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, कानपुर, हरदोई, बहराइच, बुलंदशहर, अमरोहा और बिजनौर हैं। वाराणसी और गाजीपुर जिलों से गंगा में लगभग 1.5-1.5 लाख मछलियां छोड़ी जाएंगी। नदी की सफाई सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा में सीवेज के प्रवाह को खत्म करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का भी निर्माण किया है।

नमो घाट

बनारस के घाटों की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहाँ नमो घाट का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें करबद्ध तीन जोड़े है। जी हाथों को जोड़े हुए हैं। नमो घाट पर बनाई गई कलाकृतियों में तीनों स्कल्पचर के हाथ बधे हुए हैं। बधें हाथ अकर्मण्यता के प्रतीक हैं।

35.83 करोड़ रुपये की लागत से नमो घाट के पहले चरण का काम हो गया है। यहां पर नमस्ते करते हुए तीन स्कल्पचर तैयार कराए गए हैं। पर्यटन के लिहाज से अपने आप में अनूठा है। यहां पर्यटक सुबह-ए-बनारस का नजारा देख सकेंगे। साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हो सकेंगे। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकेंगे।

ऐसे तो साफ हो चुकी गंगा

नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों खर्च के बाद भी गंगा की स्थिति में बदलाव न आने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक, जलनिगम, उप्र और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर तल्ख टिप्पणी की। नमामि गंगे परियोजना महानिदेशक से पूछा है कि क्लीन गंगा के मद में कितना धन आवंटित किया गया है और उप्र को कितना धन दिया गया है। क्या धन योजना उद्देश्य पूरा करने में ही खर्च किया गया है तथा भविष्य की क्या योजना है?

कानपुर और उन्नाव के चर्म उद्योग शिफ्ट करने पर भी केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। सुनवाई में सामने आया कि प्रयागराज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अडानी की कंपनी चला रही है और करार है कि किसी समय प्लांट में क्षमता से अधिक गंदा पानी आया तो शोधित करने की जवाबदेही नहीं होगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसे करार से तो गंगा साफ होने से रही, जल निगम एसटीपी की निगरानी कर रहा है। लेकिन उसके पास पर्यावरण इंजीनियर नहीं है। जनहित याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्णपीठ मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि जिससे दूसरों को लाभ पहुंचाया जा सके और जवाबदेही किसी की हो। जब ऐसी संविदा है तो शोधन की जरूरत ही क्या है।

महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी गंगा सफाई को लेकर सरकार की कोशिश को अपर्याप्त बताया था।

गंगा नदी का न सिर्फ़ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, "अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है"।

इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया।

यह समझते हुए कि गंगा संरक्षण की चुनौती बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी है और इसमं कई हितधारकों की भी भूमिका है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच एवं केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को बेहतर करने एवं कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी बढ़ाने के साथ केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किये गए हैं।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन को शुरूआती स्तर की गतिविधियों (तत्काल प्रभाव दिखने के लिए), मध्यम अवधि की गतिविधियों (समय सीमा के 5 साल के भीतर लागू किया जाना है), और लंबी अवधि की गतिविधियों (10 साल के भीतर लागू किया जाना है) में बांटा गया है। ▪

सुमन आर्या
मो.न.- 8542831402

बलिया बीचे बलमा...

▪ लेखक- संजीत बर्मन

गईलीं बलिया के मेला हम खरीदे लगनी केला, हमर बलिया बीचे बलमा हेराइल सजनी... लोकगायक बालेश्वर यादव ने जब इस गीत को लिखा और गाया होगा तो उनके मन में बहुत से विचार रहे होंगे। उनके इसी एक गीत से पूरे बलिया की झलक मिल जाती है। भोजपुरी की मिठास लिए उत्तर प्रदेश का बलिया जिला एक भौगोलिक इकाई ही नहीं बल्कि एक ब्रांड भी है देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी खान पान की वस्तुओं को बलिया ब्रांड के अंतर्गत बेचा और खरीदा जाता है। बलिया का लिट्टी चोखा और बलिया का सत्तू इसी ब्रांड से बेचे और खरीदे जाते हैं। आजमगढ़ के लोकगायक बालेश्वर यादव के गीतों में बलिया की खास वर्णन हैं। बलिया के सौंदर्यशास्त्र और बलिया के मेले का विशेष रूप से जिक्र है।

बलिया की बसावट

बलिया आज़मगढ़ मंडल के अन्तर्गत आता है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, इसके बाद से बिहार की भौगोलिक सीमा शुरू हो जाती है।रहन सहन खान पान की दृष्टि से बिहार की सांस्कृतिक सीमा बलिया से ही

शुरू हो जाती है। बलिया जिले की उत्तरी और दक्षिणी सीमा क्रमशः सरयू और गंगा नदियों द्वारा बनाई जाती है। बलिया के ऐसे मोहल्ले जो देशज नाम लिए हुए है काजीपुरा, बहेरी, बिखनिपुर, निध्धिहरपुर, उमरगंज, विजयीपुर, बनकटा, परवंदापुर, बहादुरपुर, हैबतपुर, उमरगंज, टेढ़वा, मठिया येसे मोहल्ले हैं जो दलित पिछड़ों के गावं हैं जिनका बलिया की बसावट में बहुत बड़ा योगदान है।

बलिया गंगा और घाघरा के बीच के जलोढ़ मैदानों में स्थित है। यह क्षेत्र पशुपालकों और कृषि क्षेत्र के लिए मुफीद था। यहाँ की अधिकाशं जातियां कृषकों और पशुपालको की ही थी, इसी परिपेक्ष में ददरी मेले को देखा जाना चाहिए। जिसे बलिया का मेला के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। अक्टूबर/नवम्बर महीने में शहर की पूर्वी सीमा पर गंगा और सरयू नदियों के संगम पर स्थित एक मैदान पर मनाया जाता है। ददरी मेला बलिया सहित पूर्वांचल और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए मवेशियों की जरुरत पूरी होती थी, जब कृषि में अर्थव्यवस्था में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता। इसके आलावा यहाँ के बहुसंख्यक कृषकों के पशु इस मेले में बिकने आया करते थे जिसे आसपास के जिलों से लोग कृषि कार्यों के

वीर लोरिक

बलिया जिले के गौरा के रहने वाले वीर लोरिक का हिन्दी के लोक साहित्य में लोरिक व चंदा की कथाओ का महत्वपूर्ण स्थान है। 14वी शताब्दी के पूर्व से ही लोरिक व चंदा की कथाए हिन्दी साहित्य में दर्ज है।[चंदायन' नामक प्रथम हिंदवी प्रेम काव्य लिखने के लिए, सूफी कवि मौलाना दाऊद ने 1379 में लोरिक और चंदा के लोक महाग्रंथ को चुना था।मौलाना का मानना था कि 'चंदायन' एक दिव्य सत्य है तथा इसकी श्रुतियाँ, कुरान की आयतों के समतुल्य है।. लोरिक-कथा का उल्लेख इलियट ने भी किया है तथा उन्होने इस संदर्भ में अहीर जाति का प्रामाणिक इतिहास भी दिया है।

लोरिकी में कई छोटे छोटे राज्यो जो कि- अहीर और आदिवासीयो के है और इन लोगो में प्रायः पशुधन, भूमिधन, स्त्रीधन तथा शक्ति प्रदर्शन के लिए युद्ध होते हैं। इसमे अहीर द्विजात योद्धाओ के रूप में वर्णित है, जिनके लिए शादी के लिए अपहरण एक प्रथा है तथा शक्ति प्रदर्शन, वीरता, वफादारी, आदर्श व मान-सम्मान को मूल्यवान समझा जाता है। दूसरे लोक महाकाव्यों में दर्शित रीति के अनुरूप ही, यह काव्य के महानायक लोरिक के जीवन पर केन्द्रित है। लोरिकी के प्रसंगो पर क्षेत्रीय आधार पर कई स्थानीय संस्करण है, जिन्हे ग्रामीण अहीर अपनी जाति के इतिहास के रूप में देखते है क्योकि इसमे उनकी जाति में प्रचलित कई रीति रिवाज समाहित है। लोरिक को एतिहासिक महानायक व अहीरो के महान पूर्वज के रूप में देखा जाता है।

यह कथा चंदा व एक अहीर लोरिक के प्रेम संबंधो के कारण पारिवारिक विरोध, सामाजिक तिरस्कार व लोरिक द्वारा उनका सामना करते हुये बच निकालने की घटनाओं के चारों तरफ घूमती है।

लिए ले जाते थे। यहाँ का यह क्षेत्र गंगा और घाघरा के बीच के जलोढ़ मैदानों में स्थित है। अक्सर बाढ़ग्रस्त रहने वाले इस उपजाऊ क्षेत्र में चावल, जौ, मटर, ज्वार-बाजरा, दालें, तिलहन और गन्ना उगाया जाता है। शहर की पूर्वी सीमा गंगा और घाघरा के संगम में निहित है।

बलिया की छठ पूजा

सूर्य उपासना का पर्व छठ बलिया का प्रमुख त्यौहार है जो सीधे ही प्रकृति पूजा से जुड़ा हुआ है। जिसमें उगते और अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है।छठ पर्व पर बांस की दउरी व सुपली का विशेष महत्व है। इस महापर्व की पूजा में पूजन सामग्री इसी में रख कर महिलाएं कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जात..गीत गाते हुए घाट तक जाती

हैं। दउरी के ऊपर रखी सुपली में फल व दीया रहता है। इस बांस ही दउरी व सुपली बनाने में कारीगर एक माह पहले से लग जाते हैं। बांस की दउरी और सुपली बनाने में बलिया के बासफोरों को महारत हासिल है। इसके लिए बांस असम से मंगाया जाता है।

बलिया के चर्चित स्थान

सिकंदरपुर (Sikanderpur) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया ज़िले में स्थित एक नगर व नगरपंचायत है, जो ज़िले में तहसील का दर्जा भी रखता है। इसकी स्थापना के बाद में राजा सिकंदर के नाम से इस शहर का नाम रखा गया है। अतीत में यह इत्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था।

बाँसडीह

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया ज़िले में स्थित एक नगर है, जो ज़िले में तहसील का दर्जा भी रखता है

चितबड़ागाँव उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक कस्बा और नगर पंचायत है

रसड़ा

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया ज़िले में स्थित एक नगर है, जो ज़िले में तहसील का दर्जा भी रखता है।

सहतवार

उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जनपद की एक नगर पंचायत है। सहतवार इसके आस-पड़ोस में स्थित विभिन्न छोटे ग्रामों के लिए मुख्य बजार है, और रेल तथा सड़क यातायात के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख नगरों से जुड़ा है।

यहाँ छपरा-बलिया रेलखण्ड पर स्थित एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है।

विनय कुमार
मो.न.- 9415659396

एडवोकेट देशराज बने भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लोधी रोड नई दिल्ली स्थित आई एस आई भवन स्थित सभागार मे बुलाई गयी।देश के भिन्न-भिन्न प्रदेश से आये बुद्धिजीवियो ने देश के हालात पर चिंता व्यक्त किए।

भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि देश विषम परिस्थितयो से गुजर रहा है।संसाधन निर्माण करने वाला वहुसंख्यक समाज को मुठ्ठी भर तंत्र पर कब्जा जमाये मनुवादी सामंती विचारधारा के लोग देश मे आर्थिक विषमता निरंतर कायम कर रहे है।कार्यपालिका,व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया मे काबिज देश के 3% लोगो का समाज तरह-तरह का षड्यंत्र कर

समाज को आर्थिक समाजिक तौर पर खण्डित कर देश मे गरीबी,बेरोजगारी और लचारी पैदा कर रहे है।

प्रख्यात कलाकार लाल रत्नाकर ने कहा कि तथाकथित समाजवादी लोग परशुराम के मिथक को बढावा देकर समाज मे समाजवाद नहीं फैला सकते। देहरादून से आये अशोक सचान ने कहा कि बुद्ध के विचारधारा पर चलकर ही समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है।भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के संस्थापक सदस्य अरूण कुमार ने संगठन को गांव तक ले जाने की बात कही।उन्होने सोशल मिडिया का अधिक से अधिक सार्थक प्रयोग कर समाज मे फैले मनुवादी षड्यंत्रो का पर्दाफाश करने की अपील बुद्धिजीवियो से किया।

भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के महासचिव धनी प्रसाद ने अपने जगह महाराष्ट्र के साथी प्रो रमेश पिस्से को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जिसे कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के शुरूआत के दिनो के साथी देशराज जी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का अध्यक्ष बनाया गया।प्रखर वक्ता और शिक्षक नेता प्रभात रंजन को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।इसके अलावा भरत सुथार को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गयी।

इस अवसर पर देश के भिन्न-भिन्न प्रदेश के प्रबुद्ध लोगो ने शिरकत किया।राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरसुख भाई सोलंकी ने भी अपने उद्गार व्यक्त किये।सभागार मे एके मौर्य ने आन्दोलन मे अम्बेडकर और कांशीराम के विचारो को फिर से समाज मे फैलाने हेतु जोर दिया।इस अवसर पर सुनिल कुमार,धर्मवीर आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

प्रसिद्ध जे एन यू छात्र नेता डा मुलायम सिंह ने अपने ओजस्वी भाषण से सबो को अभिभूत कर दिया।देहरादून मे चिंतन शिविर की घोषणा के साथ ही कार्यक्रम का समापन हो गया। ▪

जात और बेजात का संवाद

▪ **लेखक- संजीत बर्मन**

- नाविक कहता है कि दलित लोग नीच होते हैं।

- मैंने पूछा कि नीच का मतलब

- तब नाविक कहता है कि वही ना बुरे लोग

- मैंने पूछा कि बुरे लोग का मतलब अच्छे नहीं होते हैं क्या

- तब नाविक कहता है कि हां

- मैंने पुछा कि बुरे लोग आपके साथ ऐसा क्या किए हैं कि वे बुरे लोग हैं

- नाविक कहता है कि सब लोग बोलते हैं

- मैंने पूछा कि कौन लोग बोलते हैं

- तब वह कहता है कि सब लोग बोलते हैं

- मैंने पूछा कि दलितों के शरीर से बदबू आती है क्या

- तब वह कहता है नहीं यार

- मैंने पूछा कि दलित लोग मुंह से बच्चा पैदा करने का जुगाड़ लगाते हैं क्या

- तब वह खिलखिलाकर हंसते हुए कहता है कि.... नहीं यार......आप गंदा गंदा बात करते हो

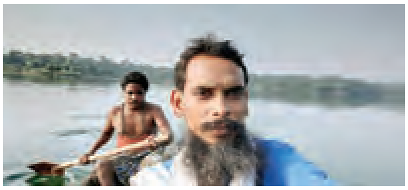

- फिर मैंने पूछा कि फिर बुरे कैसे हुए

- तब वह झल्लाते हुए कहता है कि सब कहते हैं नीच होते हैं।

- फिर मैंने पूछा कि आप दलितों से ऊंचा होते हो

- तब वह मुस्कुराते हुए कहता है कि हां

- मैंने पूछा कि आप ऊंचा हो तो वह कहता है कि हां हम लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं

- मैंने पूछा कि दलित लोग नहीं पूजा कर सकते हैं क्या

- तब नाविक कहता है उनको तो धरम-करम में निमंत्रण ही नहीं दिया जाता है

- वे लोग जात से बेजात होते हैं।

- मैंने पूछा कि अच्छा बताओ

- आपसे भी कोई ऊंचा जात होता है क्या

- तब वह ठिठक कर कहता है कि हां सबका अपना अपना करम-धरम बंटा होता है हमारे से भी बड़े जात होते हैं।

- मैंने पूछा कि अच्छा बताओ ईसाई धर्म को जानते हो

- नाविक कहता है हां

- मुस्लिम धर्म को जानते हो

- नाविक कहता है कि आप तो हो ना

- मैंने कहा कि दाढ़ी सिर्फ मुस्लिम रखते हैं क्या

- नाविक कहता है

- न ही मुस्लिम लोग सब दाढ़ी रखते हैं ना।

- मैंने पूछा बौद्ध धर्म को जानते हो

- नाविक कहता है कि नहीं जानता हूं फिर मुझसे पूछा कि हमारे देश में होता है!!!!

नोट :- हमारा आपसी संवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में हुआ।

और मैं बेजात हूं साथ ही मेरे ही जाति के बारे में वह मन में ग़लत धारणा बैठाकर जीवन जी रहा है। ▪

जातीयता और मर्द सत्ता से एक साथ लड़ी वो फूलन थी

▪ डॉ.नरेश कुमार साहू

महिलाओं के मध्य छिपी है
सौ-सौ डाके डाले उसने
एक-एक की नाक तराशी
एक-एक की कुतर गई है कान
दसियों की तो आंखे फोड़ीं
बदल-बदलकर घोड़े उड़ती
जिला बदलती ही रहती
-वो फूलन थी।

जिसके बारे में कवि नागार्जुन ने ये पंक्तियाँ लिखी। बागी से सांसद बनी वीरांगना फूलन देवी की 25 जुलाई को गोली मार कर हत्या कर दी गई। आज की तारीख में महिला आइकॉन बन चुकी फूलन देवी को बसावन इंडिया नमन करता है।

फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसके विद्रोही तेवर को दुनिया ने देखा। नामचीन पत्रिका "टाइम्स" ने फूलन देवी को दुनिया के सबसे विद्रोही महिला की सूची में सर्वोच्च स्थान से नवाजा। इस फूलनदेवी की कहानी आज भी चंबल, के बीहड़ों और गांवों में सुनायी जाती है,और आगे भी सुनाया जाएगा। महिला द्वारा समांतवाद,सवर्णवादी मानसिकता को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना सचमुच कितनी साहस और आत्मबल को दर्शाती है। फूलन देवी पूरे बहुजन महिलाओं के लिए गौरव है जिसका नाम लेने से रोम-रोम में ऊर्जा का गजब का संचार होता है। फूलन देवी से आज निषाद,मल्लाह समुदाय ही नहीं दलित,आदिवासी,बहुयन भारत प्रेरणा ले रही है। साथ ही इसके अपने समुदाय की नायिका के रूप में मानने लगा है।

सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाम्स द्वारा किए गए सर्वे में फूलन देवी को दुनिया के सबसे विद्रोही महिला की सूची में शुमार करते हुए, चौथे स्थान पर रखा गया है।

फूलन की विद्रोहीपन का डंका भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में बजने लगी है। लोग इन्हें वीरांगना,कोई दस्यु सुंदरी,कोई विद्रोहनी फूलन के नाम से पुकारते है। फूलन ने अपनी विद्रोही तेवर से भारत का का गौरव बढ़ाया।

भारतीय इतिहास आर्य और अनार्य संघर्ष का रहा है। यहाँ के अनार्य,मूलनिवासियों को दस्यु, राक्षस,दानव, असुर आदि नामों से संबोधित किया गया है। यहाँ के मूलनिवासी राजा- महाराजा को असुर, दस्यु सम्राट आदि नामों से संबोधित किया गया है और रानी, राजकुमारी को भी दस्यु सुंदरी,असुर सुंदरी आदि नामों से सामाजिक संबोधन होता रहा है।

वैसे तो पूरी दुनिया का समाज पुरुष प्रधान है,भारतीय परिदृश्य में देखे तो यह औसत और बढ़ जाता है। इस पुरुष- प्रधान समाज में रहकर तमाम तरह से शोषण को सहकार टूटने के बजाय एक विशाल फौज तैयार कर उसका मुखिया बनकर पूंजीवाद,सामंतवाद,सवर्णवाद को मुंहतोड़ जवाब देना सचमुच पुरुषसत्ता को उखाड़ फेखना ही है। इस तरह से फूलन देवी पुरुष प्रधान समाज के बीच से निकलकर पुरुष वर्चस्व को तोड़ा है।

पूरे दुनिया के इतिहास में एक सेना नायिका के रूप में महिला का खुलकर विद्रोह करना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह कीर्तिमान स्थापित कियाइस बहुजन वीरांगना ने। जिसके एक आदेश से सामंतवादी, पूंजीवादी,सवर्णवादी ताकते थर्राते थे। यह पूरे भारतीय बहुजन समाज के लिए प्रेरणा है।

1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी और रिकार्डमतों से जीत हासिल कर संसद के गलियारे में कदम रखी। इस तरह से जनता ने एक अपने नेता के रूप में हाथों हाथ लिया।

फूलन देवी पूरी दुनिया कि आधी आबादी यानि महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा हमे पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है।आज पूरी महिला बिरादरी फूलन की युद्धकौशल, वीरता को सलाम करती है। जिसने अपने शोषण अनाचार को ढाल बनाकर तपाया और खूब पिरोया तब जाकर सवर्णों को ललकारते हुए, इनके बनाए दीवार को एक ही बार में ढहा दिए गए।

डॉ.नरेश कुमार साहू
मो.न.- 9921110844

फूलन से इतर भारतीय समाज में महिलाएं रोते,बिलकते ही मिलते है, इस दमन, शोषण, अनाचार के बीच विद्रोह का बिगुल फूंकना सचमुच अंधकार के बीच महिला सशक्तिकरण की नायाब मिशाल है फूलन। ▪

फूलन की दस बातें -

- जेल जाने से पूर्व फूलन पूरी तरह से निरक्षर थी। जेल में रहते हुए वे सिर्फ हस्ताक्षर करना सीख पाई थी।
- फूलन देवी ने 11 बरस जेल में बिताया
- 1981 में हुए बेहमई कांड के कारण वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था।
- फूलन देवी को सक्रिय राजनीती में लेन का श्रेय मुलायम सिंह यादव को है, मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक गुरु थे।मुलायम सिंह यादव के वो अपना धर्म पिता मानती थी।
- दिवंगत राम विलास पासवान को धर्म भाई मानती थी और उन्हें रक्षाबंधन बधती थी।
- सांसद बनाने के पश्चात् एक बार उन्होंने शताब्दी ट्रेन का अपहरण कर लिया था।
- फूलन को 9 गोलियां मारी गई थी, जब उनकी मौत हुई वे महज 38 साल की थी।
- समाजवादी पार्टी के कहने पर उनका अंतिम संस्कार उनके संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में किया गया
- मरने से पहले फूलन ने बौध धर्म स्वीकार कर लिया था
- डॉ भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हुए फूलन ने समाज का सामना करने के लिए एक आदर्श छोड़ रखा है।

मंडल आयोग की कुछ अनुशंसाओं को लागू हुए लगभग 28 साल हो गए हैं। इन 28 सालों में आरक्षण की क्या स्थिति है जिसको लेकर बसावन इंडिया मंडल ऑडिट नाम से एक रेगुलर कालम अपने आगामी अंकों में शुरू कर रहा है जिसमें किसी यूनिवर्सिटी अथवा किसी विभाग में आरक्षण की प्रगति समीक्षा का प्रकाशन करेगा। यदि इस कालम के लिए कुछ भेजना कहते हैं तो बसावन इंडिया की ई मेल basavan-india@gmail.comभेज सकतें हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी गोपनीयता भंग हो तो बसावन इंडिया इसके लिए आपको अस्वस्थ करता आपकी गोपनीयता बनी रहेगी|

मंडल आयोग रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष

25 अगस्त को सामाजिक न्याय के पुरोधा बीपी मंडल की जयंती है। बसावन इंडिया उन्हें नमन करते हुए,1981 में बने, 89 में घोषणा और 94 में लागू मंडल आयोग रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए क्या क्या संघर्ष किये गए? संघर्षों के एक अंश को छाप रही है। यह आन्ध्र प्रदेश कैडर के आई ए एस अधिकारी पी एस कृष्णन से वी वासंती देवी के बात चीत के कुछ अंशो का प्रकाशन कर रहा है, जो उनकी पुस्तक भारतीय कार्यपालिका में सामाजिक न्याय का संघर्ष से है।

अब हम सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात करें। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या आप यह बताएंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने क्यों और किस तरह मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और इसमें आपकी क्या भूमिका थी?

संविधान के अनुच्छेद 340(1) व 15 (4) के प्रावधानों के बावजूद केंद्र सरकार ने शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को वंचित वर्गों का दर्जा देने की मांग को लंबे समय तक नजर-अंदाज किया। यह इस तथ्य के बावजूद कि तटीय प्रदेशों, विशेषकर दक्षिण भारतीय प्रदेशों ने प्रांतीय/ राजे-रजवाड़ों/ राज्य सरकारों के शासन के दौरान स्वतंत्रता के पूर्व ही उन्हें यह मान्यता दे दी थी और उनके अंतर्गत सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों, व विशेषकर व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। काका कालेलकर आयोग (1953-55) व मंडल आयोग (1970-80), जिसकी नियुक्ति का आदेश दिनांक 1 जनवरी, 1979 को केंद्रीय गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग विकास व कल्याण के प्रभारी संयुक्त सचिव की हैसियत से मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया था, कि अनुशंसाओं के बावजूद केंद्र सरकार ने सन् 1990 तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की।

मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 दिसंबर, 1980 को प्रकार दी थी। लगभग दस साल के अनुचित व अकारण विलंब के बाद भारत सरकार ने अगस्त, 1990 में मंडल आयोग की इस सिफारिश को मंजूर किया कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। वी.पी. सिंह सरकार में कल्याण मंत्रालय में सचिव बतौर मेरेदिनांक 1 मई, 1990 के कैबिनेट नोट के आधार पर सरकार ने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने और उन्हें केंद्र सरकार में सीधी भर्ती के पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का अहम व ऐतिहासिक निर्णय लिया। मंडल आयोग द्वारा 31 दिसंबर, 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद के एक दशक में इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन से बचा जाता रहा। इसके लिए कई तरह के बहाने बनाए गए। मंत्रियों, सचिवों और मुख्यमंत्रियों की कई बैठकें आयोजित की गईं। जिनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि एसएडबीसी को भारत सरकार में आरक्षण प्रदान करने से किसी भी प्रकार बचा जा सके। ऐसा करने के लिए कई आधारहीन आपत्तियां की गईं और बेहूदे प्रश्न उठाए गए। मंडल आयोग की रिपोर्ट भुला दी गई थी। जब मैंने 2 जनवरी, 1990 को कल्याण मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला, तब मुझे लगा कि इसमें अभी भी कुछ जान बाकी है। मैंने उसे पुनर्जीवित किया और संवैधानिक प्रावधानों व सामाजिक और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पिछले दस साल में उठाई गई आपत्तियों का खंडन किया।

दिनांक 6 अगस्त, 1990 को देर रात इस विषय पर दो हिस्सों में श्री वी.पी.सिंह ने मंत्री श्री रामविलास पासवान और मेरे साथ लंबी चर्चा की और एसएडबीसी को आरक्षण देने का निर्णय किया। मैंने उनके उस जोशीले, मर्मस्पर्शी और गरिमापूर्ण भाषण को तैयार किया, जो उन्होंने 7 अगस्त, 1990 को लोकसभा और 9 अगस्त, 1990 को राज्यसभा में सरकार के निर्णय की घोषणा करते हुए दिया। उनके भाषण

- - शेष पेज 23 पर - -

घट रही कांवरियों की संख्या

मैंने कई दिन शास्त्री ब्रिज पर प्रयागराज में अनुमान लगाया, दिन भर खड़े रहिए तो इक्का-दुक्का लोग दिखाई पड़ते हैं इसके पहले पूरा पुल एक लाइन भरा रहता था प्रशासन ने जितना ज्यादा इंतजाम किया है। कांवड़ियों की संख्या उससे कहीं ज्यादा घट गई है। अखबार वाले फर्जी खबरें छाप कर रिकॉर्ड बना रहे हैं। सरकार को दिखाने के लिए कोई कावड़िया की संख्या गिनाने थोड़ी जाता है जिसके जो दिमाग में आता है लिख मारता है। वैसे भी बड़े बड़े मीडिया हाउस बसपा प्रमुख मायावती के कार्यक्रम में 100 डेढ़ सौ लोगों का आना लिखते हैं और रामलीला कमेटी और छोटे-छोटे बाबाओं के प्रवचन में संख्या लाखों के बताते हैं यही मीडिया की खबरों का हाल है। एक बार कांवड़ यात्रा पर जा चुके मनोज सोनकर जो अब अंडे की दुकान लगते हैं और सावन महीने में अंडा बेच रहे हैं उन्होंने ने कहा कि जब समझ नहीं थी तब लेकर गया था। अब हंसी आती है। जब हमने उनसे पूछा की सावन में अंडा बेच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अब अगर अंडा न बेचे तो परिवार क्या खायेगा, सावन हो या भादों खाते सभी हैं लेकिन चोरी चोरी|

कावड़ियों की घटती संख्या को लेकर जब हमने बुद्धिजीवियों से बात की तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली ... **शेष पेज 25 में**

- - पेज 22 का शेष - -

के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों और आपत्तियों का जवाब देने के लिए आवश्यक जानकारी मैंने अधिकारी दीर्घा से उन्हें उपलब्ध करवाई। एसएडबीसी को केंद्र सरकार के अंतर्गत सेवाओं और केंद्रीय संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का औपचारिक आदेश आफिस मेमोरेंडम (ओएम) क्रमांक 36012/31/90- इस्टॅबलिशमेंट (एससीटी) दिनांक 13 अगस्त, 1990 को जारी किया गया (ओएम या आफिस मेमोरेंडम वही है, जिसे दक्षिण भारतीय राज्यों में जीओ या गवर्नमेंट ऑर्डर कहा जाता है)।

मेरे दृढ़ निश्चय के कारण एसएडबीसी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और आरक्षण प्राप्त हो सका, जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस निर्णय का कटु विरोध हुआ और यहां तक कि कुछ शक्तिशाली नौकरशाहों ने मुझसे व्यक्तिगत शत्रुता पाल ली। श्री पी.एस. अप्पू, जो बिहार के मुख्य सचिव और लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी (जो आईएएस व अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है) के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त थे, ने दिल्ली की अपनी एक यात्रा के दौरान मुझसे कहा कि, "श्री कृष्णन, आप अब दिल्ली में पदस्थ ऐसे अधिकारी बन गए हैं जिन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा जा रहा है।" यह शायद एक न्यूनोक्ति थी। मेरी सेवानिवृत्ति के पहले मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, परंतु यह इसलिए सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसका कोई आधार या कारण नहीं था।

भारत सरकार के इस आदेश के विरुद्ध अदालतों में रिट याचिकाओं की झड़ी लग गई। वी.पी. सिंह सरकार के गिरने के पहले की छोटी-सी अवधि में मैंने इन सभी रिट और जनहित याचिकाओं के जवाबी हलफनामे तैयार किए। इस कार्य में मुझे मेरे विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री माता प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश कैडर के एक कर्तव्यनिष्ठ दलित अधिकारी थे, का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। इन सभी हलफनामों को तत्कालीन अटार्नी जनरल श्री सोली सोराबजी के जरिए उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। मैंने श्री सोराबजी को एसएडबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किए जाने के औचित्य के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई।

मेरे विचार से स्वतंत्र भारत के इतिहास में श्री वी.पी. सिंह के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जो इस तरह का सकारात्मक और निर्णायक कदम उठा सकता था। उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट सचिव, जो उनके विश्वासपात्र और कॉलेज के सहपाठी थे, के पूर्वाग्रह-ग्रस्त विचारों को नजरअंदाज किया। उस समय श्री रामविलास पासवान ने जो भूमिका अदा की, वैसी भूमिका शायद ही कोई कल्याण/सामाजिक न्याय मंत्री निभा सकता था और इस प्रक्रिया में मैंने जो योगदान दिया वह शायद कोई अन्य अधिकारी नहीं दे सकता था। किया और जिसे एसएडबीसी को आरक्षण दिए जाने संबंधी आदेश में शामिल मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव, जिसे मंत्री और प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया गया, वह यह था कि पहले चरण में एसएडबीसी सूची में वे जातियां या समुदाय शामिल होंगे, जो संबंधित राज्य की मंडल आयोग द्वारा तैयार सूची और उस राज्य की सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की सूची, दोनों में शामिल हों। इससे कुछ ऐसी जातियों को आरक्षण की सूची से बाहर रखने में मदद मिली, जो स्पष्टतः सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी नहीं थीं। इसी कारण इस आरक्षण को न्यायपालिका द्वारा खारिज नहीं किया गया। वे रिट याचिकाएं निष्प्रभावी हो गईं, जिनमें मंडल सूची में कुछ अगड़ी जातियों को शामिल किए जाने को चुनौती दी गई थी। मेरे इस सुझाव (जिसे सरकार के आफिस मेमोरेंडम में शामिल किया गया) के कारण हम अपने जवाबी हलफनामों में यह कह सके कि यद्यपि सरकार ने एसएडबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मंडल आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है, तथापि इस निर्णय के लाभार्थियों में मंडल आयोग की सूची में से केवल वही जातियां शामिल हैं, जो संबंधित राज्यों की सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों की सूची में भी हैं। राज्यों की सूची को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका था। इनमें शामिल था सन् 1968 का तमिलनाडु का माइनर राजेन्द्रन प्रकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा 16 नवंबर, 1992 को सुनाए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में एसएडबीसी को आरक्षण प्रदान करने के निर्णय की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लेने के बाद मुझे पिछड़े वर्गों पर विशेषज्ञ समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। मुख्यतः मेरे द्वारा प्रदत्त जानकारियों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप, भारत सरकार ने पहले चरण की केंद्रीय सूची तैयार की और इस तरह 8 सितंबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के बाद यह निर्णय लागू हो गया। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। ▪

अमरजीत चक्रवर्ती
मो.न.- 829925604

हिंदू कौन है

▪ रेनू कुशवाहा

मनुवादी समाजिक ढांचे में हिंदू कौन है ?

अंग्रेजी राज में सेंसस ऑपरेशन के दौरान यह सबसे बड़ा और जटिल सवाल बनकर उभरा। इस सवाल को हल करने के लिए अंग्रेजी राज में श्रमसाध्य प्रयास किए गए। लेकिन इस सवाल को हल करने में अंग्रेजी राज के बड़े-बड़े विद्वान भी असफल रहे। 1891 के सेंसस कमिश्नर रहे Jervoise Athestane 1901 के सेंसस कमिश्नर रहे H.H. Risley 1911 के सेंसस कमिश्नर रहे E.A.Gait और 1921 के सेंसस कमिश्नर रहे J.T. Marten ने इस सवाल पर व्यापक चर्चा और विमर्श किया है। लगता है इस सवाल पर अंग्रेजी राज में जितना गंभीर विमर्श हुआ, उतना व्यापक चर्चा और विमर्श शायद कभी हुआ हो। ऐसा भी नहीं है कि यह विमर्श एकतरफा था। इसमें सनातनी, आर्य-समाजी, शैव-पंथी, वैष्णव-पंथी, ब्रम्हो-समाज के साथ कबीर पंथी, नानक पंथी, जैनधर्मी, बौद्धधर्मी और हिंदू महासभा से लेकर डॉ. आंबेडकर तक शामिल थे। इस सवाल को लेकर विभिन्न जातियों का भी अपना पक्ष था।

हिंदू कौन है।..इस सवाल पर विभिन्न पंथों और संप्रदायों के विचार अंग्रेजी राज के विचारों से कहीं अधिक प्रासंगिक है। पहले हम यहां इनके ही विचारों की संक्षेप में चर्चा करेंगें।

सेंसस के धर्मिक पहचान के कॉलम में शंकराचार्य के दसनामी संप्रदाय के शैव-संप्रदायिक, स्वयं को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते थे। सेंसस में वे स्वयं को शैव-पंथी या शैवधर्मी के रूप दर्ज कराने के लिए उत्सुक थे। रामानंदी संप्रदाय के लोग स्वयं को हिंदू के बजाय सेंसस में वैष्णव-पंथी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। बंगाल के ब्रम्हो-समाजी भी हिंदू के बजाय स्वयं को सेंसस में ब्रम्हों-समाजी के रूप में दर्ज कराना चाहते थे।

सबसे मजेदार विचार आर्य समाज की थी। इनके विचार में फारसी का हिंदू शब्द गाली की तरह था। आर्य समाजी हिंदू शब्द को गाली मानकर निंदा करते थे। इनका कहना था कि भारत के निवासी आर्य हैं। इनका धर्म आर्य-धर्म है।

इसी तरह सनातनी स्वयं को सेंसस में हिंदू के बजाय सनातन-धर्मी, कबीर-पंथी हिंदू के बजाय कबीर-पंथी, नानक-पंथी स्वयं को हिंदू के बजाय नानक-पंथी के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक थे।

इतना ही नहीं वैष्णव पंथ में शामिल वैरागी, उदासी, दादूपंथी आदि सेंसस में हिंदू के बजाय अपनी पंथीय पहचान चाहते थे। इसी तरह शैव-पंथ में शामिल गोरखपंथी भी सेंसस में हिंदू के बजाय अपनी पंथीय पहचान तथा रामानुजाचार्य और बल्लभाचार्य के समर्थक भी हिंदू के बजाय सेंसस में अपनी पंथीय पहचान के लिए उत्सुक थे।

हिंदू महासभा का कहना था कि कोई भी व्यक्ति,जो किसी भी भारतीय धर्म (सनातन, आर्य-समाज, जैन, बौद्ध, ब्रम्हों-समाज आदि) को मानता है वह हिंदू कहलायेगा। (महासभा की यह अवधारणा धार्मिक आस्था-विश्वास से परे हटकर सेंटीमेंटल मान्यता पर आधारित थी। जबकि सेंसस ऑपरेशन के लिए हिंदू शब्द धार्मिक आस्था-विश्वास से जुड़ा था न कि सेंटीमेंटल भू-क्षेत्रीय मनोवृति से... ! एक तरह से कहे तो हिंदू महासभा के लिए सेंटीमेंट पर आधारित हिंदू शब्द राजनैतिक शब्दावली की अभिव्यक्ति लगती है।)

डॉ. आंबेडकर का कहना था कि वर्णों और जातियों में विभाजित भारतीय समाज कोई धार्मिक समूह नहीं है, बल्कि श्रेणीबद्ध (Graded) जातियों का समूह है।

इसके अतिरिक्त शूद्र कही जानेवाली जातियों का एक बड़ा समूह था, जो स्वयं का आर्यीकरण और ब्राम्हणीकरण करने के बाद सेंसस में स्वयं को ब्राम्हण और क्षत्रिय के रूप में दर्ज कराने पर अड़े थे। इनके लिए हिंदू होने के अपेक्षा ब्राम्हण और क्षत्रिय होना अधिक मायने रखता था।

ऐसे में, हिंदू कौन है ? यह गुत्थियों से भरी पहेली है। इस पहेली को हल करना आपके वश में है तो तय करें कि हिंदू कौन है ? मेरी रूचि इसमें है कि अंग्रेजी राज ने इस पहेली को हल कैसे किया।

अंग्रेजी राज ने धार्मिक आस्था और विश्वास के आधार पर हिंदू कौन है ? यह तय करने के लिए ढेरों माप-दंड बनाए। लेकिन उनके बनाए सभी मापदंड असफल साबित हुए। अंततः अंग्रेजी राज ने जैन, बौद्ध, आदिधर्मी, मुस्लिम, क्रिश्चयन, आदि को छोड़कर सभी सनातनी, शैवपंथी, वैष्णवपंथी, कबीरपंथी, आर्यपंथी, शक्तपंथी, लिंगायत जैसे दर्जनों पंथों, संप्रदायों और समूहों आदि को अलग-अलग गणना किए। फिर उनको एक साथ हिंदू धर्म के कॉलम में डाल दिए। यह गलत हुआ या सही यह चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर अंग्रेजी राज में सेंसस से जुड़े अधिकारियों की टिप्पणियां ध्यान आकर्षित करती है।

1921 के मद्रास प्रांत के सेंसस सुपरिटेंडेंट G.T.Boag का कहना था कि हिंदू शब्द से ही कोई परिचित नहीं था। धार्मिक आस्था-विश्वास के मुद्दे को लोग अनावश्यक समझते थे। सेंसस के दौरान पूछे जाने पर इस बाबत

लोग अपनी जाति या पंथीय पहचान बताते थे। 1911 के पंजाब प्रांत के सेंसस सुपरिटेंडेंट पंडित हरिकिशन कौल का कहना था कि लगता है कि हिंदू शब्द ही विदेशी है। श्री कौल के अनुसार हिंदू कौन है ? यह तय करना किसी पहेली से कम नहीं है। 1911 के यूनाइटेड प्रोविंसेस आगरा एंड अवध के सेंसस सुपरिटेंडेंट E.A.H.Blunt कहते हैं कि कुछ लोगों का बेतुका दावा है कि बुद्धिज्म ही हिंदू संप्रदाय है या किसी न किसी रूप में बुद्धिज्म ही हिंदूइज्म है। 1931 के सेंसस रिपोर्ट के हवाले कहें तो हिंदू महासभा ने खुलकर दावा किया कि बुद्धिस्ट ही हिंदू है। हालांकि महासभा के इस दावे का बौद्धों ने विरोध किया।

ऐसी ढेरों टिप्पणियां हैं जिनका उल्लेख जरूरी नहीं लगता। कुल मिलाकर इतना ही कहना काफी है कि 1921 तक (अंग्रेजी राज) की सेंसस ऑपरेशन में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो धार्मिक आस्था-विश्वास के आधार पर स्वयं को हिंदू कह सके। यद्यपि सेंसस ऑपरेशन से जुड़े आधिकारियों की टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है -

1. प्रभावशाली ऊंची जातियां खुद को और दूसरी निचली जातियों को एक ही धर्म का मानने को तैयार नहीं थी। बल्कि वे अपनी पहचान अलग-अलग जातियों से करते थे।
2. 1921 के सेंसस ऑपरेशन के दौरान कोई भी भारतीय अपने धर्म के तौर पर हिंदू शब्द से परिचित नहीं थे।
3. 19वीं सदी के अंतिम दशक से अंग्रेजी भाषा में शिक्षित कुछ ही ऊंची जाति के भारतीय थे, जो हिंदू रूप में अपनी पहचान बना रहे थे।
4. 19वीं शताब्दी में ही हिंदू शब्द साफ तौर पर सामने आया, जिसका मतलब बड़ी आबादी से था, इस बड़ी आबादी शामिल निचली जातियों से बिना मशविरा किए अंग्रेजी भाषा में शिक्षित कुछ ऊंची जाति के भारतीय निचली जातियों को हिंदू आबादी में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे।
5. हिंदू शब्द के साथ हिंदू धर्म 20वीं सदी का आविष्कार है। यह आविष्कार धार्मिक आस्था-विश्वास से परे सेंटीमेंटल मनोवृति के रूप में सामने आयी।
6. नानकपंथी, कबीरपंथी, बौद्ध, जैन जैसे सुधारवादी धर्मों और पंथो को छोड़कर बाकी अन्य लगभग सभी पंथ और संप्रदायों के अगुआ ब्राम्हण थे और वे सभी वर्ण और जाति के समर्थक थे।
7. यह भी मजेदार बात है कि अंग्रेजी राज ने ही सर्वप्रथम सेंसस में धार्मिक श्रेणीकरण पहचान की वर्गीकरण के लिए हिंदू शब्द से भारत के लोगों को परिचित कराया।

यहां उल्लेखित सभी बातें आज से लगभग 100 वर्ष या इससे भी अधिक पहले की है। वर्तमान समय में हिंदू शब्द या हिंदू धर्म को लेकर क्या स्थिति है। यह जान लेना भी कम दिलचस्प नहीं है।

> हिंदू शब्द अपने आप में पहेली है। यह पहेली तब और दिलचस्प हो जाती है जब पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भारत में हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है। दरअसल, हिंदू फारसी का शब्द है। हिंदू शब्द न वेद में है, न पुराण में। न किसी उपनिषद में। न किसी अरण्यक में। न किसी रामायण में न किसी महाभारत में। स्वयं दयानंद सरस्वती कबूल करते हैं कि हिंदू शब्द मुसलमानों द्वारा दी गयी गाली है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज की स्थापना करने के बजाय आर्य समाज की स्थापना करते हैं। हिंदू शब्द की पहेली तब और अबूझ हो जाती है जब वर्ण व्यवस्था में ब्राम्हण स्वयं को आज भी श्रेष्ट जाति बताते हैं, लेकिन वही ब्राम्हण दिलचस्प रूप से सभी शूद्रों-अतिशूद्रों को हिंदू बताते फिरते हैं। बहुत सारे मुगल कालीन अभिलेख प्रमाण है कि ब्राम्हणों ने साफ तौर पर कहा है कि हम हिंदू नहीं ब्राम्हण हैं।

मध्यप्रदेश की एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केन्द्र सरकार से आरटीआई के तहत पूछा कि भारतीय संविधान और कानूनों के तहत हिंदू शब्द की अर्थ और परिभाषा क्या है ? भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि केन्दीय लोक सूचना अधिकारी के पास पूछे गए प्रश्न का अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। नवभारत टाइम्स डॉटकाम 11 अक्टूबर 2015.

हिंदू शब्द और हिंदू धर्म आज भी उतनी ही अबूझ पहेली है जितना अंग्रेजी राज के दौरान था। इस अबूझ पहेली का हल क्या है ? लगता है इसका हल उसी रास्ते से निकलेगा, जिस रास्ते से अंग्रेजों ने इसका हल खोजने की कोशिश की थी। लेकिन वे असफल रहे। अंततः अंग्रेजी राज ने ब्राम्हणवाद को ही हिंदू धर्म मानकर अपना पल्ला छुड़ा लिए। लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि इस पहेली को हल करने का आज भी एक मात्र रास्ता सेंसस ऑपरेशन ही है, जिसमें जातीय, धार्मिक और पंथीय जनगणना जरूरी है। यह जनगणना 1931 तक हुई। 1941 में जनगणना शुरू जरूर हुई। लेकिन राजनीतिक कारणों से पूरी न हो सकी। आजादी के बाद ऐसी जनगणना पर रोक क्यों लगी ? यह जान लेना भी जरूरी है।

सेंसस एक्ट 1948

आजादी के बाद जनगणना कार्य को संवैधानिक दायरे में लाने के लिए जनगणना एक्ट 1948 बना। सेंसस एक्ट 1948 से संबंधित बिल गृहमंत्री की हैसियत से सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 18 अगस्त 1948 को संविधान सभा में रखा। संक्षिप्त बहस के बाद बिना किसी संशोधन के बिल पास कर दिया गया। यह बिल सेंसस एक्ट 1948 के रूप में सामने आया। सेंसस एक्ट 1948 भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के सातवीं अनुसूची अंतर्गत संघ सूची के क्रम संख्या 69 पर सूचीबद्ध हुआ।

18 अगस्त 1948 को तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने सेंसस एक्ट 1948 से संबंधित बिल संविधान सभा में पेश किया। उसी समय सेंसस एक्ट में जाति जनगणना का प्रावधान जोड़े जाने की मांग की गई। संविधान सभा के सदस्य डॉ. पीसी देशमुख (पंजाब राव देशमुख) महाराष्ट्र के किसान नेता थे। खेतिहर जाति से संबंध रखते थे। श्री देशमुख संविधान सभा में जाति जनगणना के पक्ष में बोलते हुए कहा कि विकास की नीतियों में एकरूपता लाने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। वे अपने राज्य महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बताया कि 03 प्रतिशत जनसंख्या वाले (ब्राम्हण), जिनकी आबादी 05 लाख है। वह 415 गजेटेड पोस्ट पर है। अनुसूचित जाति की आबादी 30 लाख है। जबकि मात्र 03 अनुसूचित जाति के गजेटेड पोस्ट पर है। माली की आबादी 12 लाख है। जबकि इस जाति के मात्र 05 लोग गजेटेड पोस्ट पर है। इसी तरह मराठों की

आबादी 20 लाख है जबकि केवल 12 मराठे गजेटेड पोस्ट पर है। श्री देशमुख का कहना था कि सिर्फ कहने से जातियां नहीं मिटेगी। श्री देशमुख ने संविधान सभा में अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ सभी जातियों की जनगणना कराए जाने की प्रस्ताव को सेंसस एक्ट 1948 में शामिल किए जाने का अनुरोध किया। श्री देशमुख के इस प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए गृहमंत्री सरदार पटेल (गुजराती पट्टिदार) ने सेंसस एक्ट 1948 में किसी प्रकार के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार कर दिए।

सेंसस एक्ट 1948 संघ सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध होने का अर्थ हुआ कि सेंसस से जुड़ी किसी भी प्रकार के कानून बनाने या सेंसस एक्ट 1948 में किसी भी तरह का संशोधन करने आदि का अधिकार संघ को है। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार संघ जब चाहे जैसे चाहे जनगणना करा सकती है और इससे जुड़े डाटा और आंकड़े जुटा सकती है। सेंसस एक्ट 1948 के प्रावधानों के अनुसार संघ यानि केन्द्र सरकार ने 1951 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति/जनजाति के आंकड़े जारी किए गए। केन्द्र सरकार का कहना है कि नीतिगत निर्णय के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावे अन्य जातियों की जातिगत जनगणना नहीं होगी। जबकि सेंसस एक्ट 1948 में धार्मिक जनगणना के आंकड़े जुटाने का कोई उल्लेख नहीं है फिर भी धार्मिक समूहों के आंकड़े जारी किए जाते हैं।

-इसी तरह पंजाब, गुजरात, उड़ीसा में कुल बौद्ध आबादी 77572 बतायी गई है। कुल बौद्ध आबादी में दलित बौद्धों की आबादी 39678 है। कुल बौद्ध आबादी से दलित बौद्ध आबादी घटाने के बाद 37894 शेष बौद्ध आबादी में किस जाति समुदाय के लोग शामिल है। यह सूचना जनगणना रिपोर्ट में नहीं है।

-इसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडू और संयुक्त आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में कुल बौद्ध आबादी 66,74,788 बतायी गई है। इनमें दलित बौद्धों की आबादी 52,86,777 है। कुल बौद्ध आबादी से दलित बौद्धों की आबादी घटाने पर 13,88,01 शेष बौद्ध आबादी बचती है। बौद्ध धर्म में धर्मांतरित यह शेष बौद्ध आबादी में कौन लोग है या ये लोग किस जाति धर्म या समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जो धर्मांतरित होकर बौद्ध बने हैं ? यह सूचना जनगणना रिपोर्ट से नहीं मिलती। स्रोत-इंडिया टूडे हिंदी 7 जून 2016.

2001 के मुकाबले 2011 की सेंसस के अनुसार बौद्ध आबादी में बिहार, झारखंड, उडीसा, गुजरात और तमिलनाडू राज्यों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गयी है। इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी बौद्ध आबादी में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिहार की कुल बौद्ध आबादी में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में अनुसूचित जाति/जनजाति बौद्धों की वृद्धि दर घटी है। ऐसे में, बिहार में बढ़ते बौद्ध आबादी में कौन जातियां शामिल है? उड़ीसा में बौद्धों की आबादी में 40 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गयी है। धार्मिक आबादी पर शोधकर्ताओं का कहना है कि हिंदी भाषी राज्यों मे बौद्धों की आबादी में उछाल का कारण ओबीसी का बौद्ध घर्म की ओर बढ़ता हुआ रूझान है। इंडिया टूडे (हिंदी) 7 जून 2016. 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक और उ.प्र. में 2001 की तुलना में 2011 में बौद्ध आबादी की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि अन्य सभी राज्यों में 2001 की तुलना में 2011 में बौद्ध आबादी में 03 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि दर दर्ज की गई है। स्रोत-इंडिया टूडे हिंदी 7 जून 2016.

2001 की जनगणना की तुलना में 2011 के जनगणना वृद्धि दर में बौद्धधर्मियों के आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें तो बौद्धों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जनगणना की आंकड़ों में दलित बौद्धों का अलग से उल्लेख है। दलित बौद्धों के आलावे हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बनने वाले कौन है? जनगणना की जुटाए गये आंकड़ों में इसका उल्लेख नहीं है। आंकड़ों की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि दलितों के साथ ओबीसी/आदिवासियों में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बनने का रूझान तेजी से बढ़ रहा है।

दलित-आदिवासी और ओबीसी का बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता रूझान

भारत सरकार के सेंसस रजिस्ट्रार जेनरल की ओर से जारी जनगणना रिर्पोट-2011 के अनुसार सात हिंदी भाषी राज्यों-उत्तराखंड, राजस्थान, उ0प्रदेश, म0प्रदेश, बिहार, झारखंड और छतीसगढ़ में कुल बौद्धधर्मियों की आबादी 5,54,324 बतायी गई है। कुल बौद्ध आबादी में दलित बौद्धों की आबादी 4,11,918 थी। कुल बौद्ध आबादी से दलित बौद्धों की आबादी घटाने पर 1,42,406 शेष अन्य बौद्ध आबादी बचती है। यह शेष बौद्ध आबादी किस जाति-समुदाय और पंथ से धर्मांतरित होकर बौद्ध बनी है। यह सूचना जनगणना रिपोर्ट में नहीं मिलती।

जनगणना के आंकडे बताते हैं कि देश भर में बौद्धधर्मियों की आबादी बढ़ रही है। दलितों के अलावे आदिवासियों के साथ ओबीसी का भी बौद्ध धर्म की ओर रूझान बढ़ रहा है। लेकिन जनगणना रिपोर्ट में बौद्धधर्मियों की बढ़ती आबादी का सही प्रोजेक्शन नहीं दिखता है। बौद्ध आबादी का जनगणना में सही प्रोजेक्शन नहीं होने की तकनीकी पक्ष को समझना जरूरी है।

-केन्द्र सरकार का कहना है कि नीतिगत निर्णयों के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावे अन्य जातियों की जातिवार जनगणना नहीं हो सकती।

-केन्द्र सरकार के इस फैसले के तहत ओबीसी की अलग से जनगणना के सारे रास्ते स्वतः बंद हो जाते हैं। ऐसे में, ओबीसी की आबादी को लेकर अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि अनुमान सही हो।

-उदाहरण के लिए बताया जाता है कि ओबीसी की कुल आबादी 60 प्रतिशत है। -2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार कुल हिंदू आबादी 96.62 करोड़ है। कुल हिंदू आबादी में 60 प्रतिशत ओबीसी की आबादी लगभग 57.37 करोड़ होगी। कुल हिंदू आबादी से ओबीसी की आबादी घटाने पर 39.26 करोड़ शेष हिंदू आबादी बचती है।

-इसको प्रतिशत में देखें तो 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी 121 अरब है। इनमें कुल हिंदू आबादी 79.8 प्रतिशत बतायी गई है। इस हिंदू आबादी से 60 प्रतिशत ओबीसी की आबादी घटाने पर 19.8 प्रतिशत शेष हिंदू आबादी बचती है।

-इस अनुमानित आंकड़े से दो नतीजे निकलते हैं। पहला यह कि हिंदू आबादी में पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की आबादी सबसे अधिक है। दूसरा यह कि जाति जनगणना के अभाव में ओबीसी की बड़ी आबादी को जाति विहिन मानकर सीधे हिंदू आबादी के कॉलम में डाल दिया जाता है। इससे हिंदू आबादी की संख्या बढ़ जाती है। एक तरह से देखें तो ओबीसी से बिना मशविरा किए उसे जबरन हिंदू बना दिया जाता है।

जनगणना के एक अन्य तकनीकी पक्ष भी है। 2011 की जनगणना के दौरान घटित घटनाएं उदाहरण के तौर पर देख सकते है-

2011 के सेंसस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की बौद्ध आबादी में गिरावट दर्ज की गयी है। बौद्ध कार्यकर्ता इसके लिए प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार बताते हैं।

वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन केन्द्र के सुरजीत कुमार सिंह बताते हैं कि उ. प्रदेश जैसे राज्यों में दलित बौद्ध इतने सशक्त नहीं हैं कि जनगणना अधिकारियों पर दबाव बना सके। अमूमन जनगणना अधिकारी बौद्ध पहचान दर्ज नहीं करते। वह बताते हैं कि 2011 की जनगणना के दौरान महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बौद्ध कार्यकर्ता घूम-घूमकर लोगों को धर्म के कालम में बौद्ध धर्म लिखवाने के लिए जागरूक किए। जनगणना कर्मचारी बौद्धों को अमूमन हिंदू ही लिख देते हैं।

यू.पी. के बुलंदशहर के शिवाली गांव के दलित बौद्ध मगनलाल गौतम इसकी पुष्टि करतेहुए बताते है कि आंकड़ें इकठ्ठा कर रहे कर्मचारी ने मुझसे धर्म के बारे में पूछा ही नहीं और मै उनका तिकड़म समझ नहीं पाया। इंडिया टूडे (हिंदी) 7 जून 2016.

भारतीय जनगणना अबूझ पहेली है, जिसमें ओबीसी को न जाति की पहचान बताने का अवसर दिया जाता है और न ही उन्हें अपना धर्म बताने की स्वतंत्रता है। भारतीय जनगणना में ओबीसी से बिना जाति और धर्म की पहचान पूछे या जाने वगैर सीधे या कहें कि उन्हें जबरदस्ती हिंदू घोषित कर दिया जाता है।

जातीय जनगणना की मांग

संविधान सभा में सेंसस एक्ट 1948 के आस्तित्व में आने के समय से ही जातीय जनगणना की मांग उठती रही है। सबसे पहले इस मांग को संविधान सभा के सदस्य डॉ. पीसी देशमुख ने मुखरता से उठाया था। श्री देशमुख के इस मांग को तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने खारिज कर दिया।

मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल ने आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को सौंपते हुए अपने पत्र में लिखा-पारंपरिक भारतीय समाज में समाजिक पिछड़ापन के लिए जाति की स्थिति प्रत्यक्ष परिणाम है। श्री मंडल के अनुसार 1931 की जनगणना के बाद जाति जनगणना के आंकड़ों के अभाव में भारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। श्री मंडल ने अपने पत्र में राष्ट्रपति से जाति जनगणना को बंद करने की नीति पर पुर्नविचार करने का आग्रह किया हैं।

हाल में महाराष्ट्र विधानसभा ने 2020 में, बिहार विधानसभा 2021 में और तमिलनाडू विधानसभा 2021 में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास कर केन्द्र जाति-वार जनगणना के लिए सरकार से अनुरोध कर चुके हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ओबीसी की आबादी पर डाटा एकत्र करने का केन्द्र सरकार से आग्रह कर चुका है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यवाहक सुरेश भईया जी जोशी ने नागपूर में एक बयान में कहा-हम श्रेणियां दर्ज करने के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम जाति दर्ज करने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना संविधान में बाबा साहब आंबेडकर जैसे नेताओं द्वारा परिकल्पित जाति विहिन समाज के विचार के खिलाफ है और समाजिक सदभाव बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करेगा।

20 जुलाई 2021 को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया कि सरकार ने नीतिगत निर्णय के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावे अन्य जातियों की जातिवार जनगणना नहीं कराने के फैसला लिया है।

इस सच से भी इंकार नहीं कर सकते कि दलित-ओबीसी बौद्ध धर्म अपनाकर हिंदू संगठनों की समाजिक-राजनैतिक महत्वकांक्षाओं और मुहिम का हिस्सा बनने से इंकार कर देते हैं। इसके पीछे संख्या बल का निहितार्थ छुपा होता है, जो समाजिक धार्मिक होने से कहीं अधिक राजनैतिक मुहिम के लिए अवसर मुहैया करता है। हिंदू धर्म के साथ दिक्कत है कि वह मिशनरी धर्म नहीं बन सका है। हिंदू समाज ने जातियों की व्यवस्था विकसित की। जाति व्यवस्था धर्मांतरण के साथ असंगत है। जाति व्यवस्था दूसरे धर्म को आत्मसात तो कर सकता है, लेकिन वह दूसरे धार्मिक समुदायों को वर्ण-जाति व्यवस्था में आत्मसात करने में अक्षम है।

- - पेज 21 का शेष - -

धीरेन्द्र यादव
इलाहाबाद हाई कोर्ट अधिवक्ता

धर्म के नाम पर कबतक लोगों को मुर्ख बनाया जाएगा। धीरे-धीरे लोगों में चेतना आ रही है, नौकरी कांवड़ ढ़ोने से नहीं पढ़ने से मिलेगी। वैसे भी कांवड़ यात्रा में जाने वाले दलित पिछड़े वर्ग के लोग हुआ करते हैं जिनमें शिक्षा का स्तर निम्न है लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया आदि के द्वारा लोग जागरूक हो रहे हैं जिसका परिणाम है कि दिन प्रतिदिन कावड़ियों की संख्या घट रही है। कोरोना के कारण दो सालों तक कांवड़ यात्रा बंद रही लेकिन फिर भी दुनिया चल रही थी, इस बार पहले की तुलना में हमारे यहाँ भंडारा भी कम ही लगाया गया था लोगों के हाथ तंग है कुछ।

अरविंद सरोज
युवा नेता

पहले तो कावड़ियों चलते आने जाने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी लेकिन इस साल बहुत आराम है। ट्रेन हो या फिर खुद के दो पहिया वाहन, कावड़ लिए लोगों को इस बात का लाइसेंस मिल जाता था कि वो कुछ भी करें, ज्यादातर कावड़ ले जाने वाले 15 से 35 वर्ष की उम्र के दिखाई देते थे, यदि इन्हें कोई युवती दिख जाए तो और भी तेजी से बम लोग का जयकारा लगते थे। बनारस से इलाहाबाद आने वाली ट्रेनों में बैठने को यात्रियों से अक्सर झड़प हुआ करती थी, बिना हेलमेट पहने हुए मोटसाइकिल पर बोल बम का नारा लगते हुए आपके बगल से ऐसे निकलते थे जैसे कि सारी भक्ति का ठेका इन्ही कावड़ियों के ही पास हो।

देखने वाले बता रहे हैं कि दस साल के मुक़ाबले कांवड़ियों की संख्या एक चौथाई रह गई है। दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाती थी। कई सड़कें जाम रहती थीं। अब एक कोना भी डिस्टर्ब नहीं होता। हो सकता है कि गरीब इलाक़ों में ये अब भी लोकप्रिय हो। दिल्ली के आस पास का उत्पात अब बंद हो चुका है।

सीता चक 'केतन'
मो.नं.- 7905981475

डिलिस्टिंग को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों?

▪ डॉ. गोल्डी एम. जॉर्ज

जून 2022 को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला मुख्यालय में धर्मान्तरण के विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले एक रैली निकालकर डिलिस्टिंग के सन्दर्भ में एक विरोध प्रदर्शन हुआ। डिलिस्टिंग का तात्पर्य उन आदिवासियों से है, जो खुद को हिंदू अलग कर ईसाई या इस्लाम धर्म को स्वीकार चुके हैं। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पूर्व सांसद नंदकुमार साय, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गणेश राम भगत सहित कई आदिवासी नेता सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन के बाद पूरे प्रदेश के आदिवासियों के बीच धर्मान्तरण, घर-वापसी और डिलिस्टिंग के मामले को लेकर काफी घमासान और तनाव की स्थिति पैदा हुई है।

पिछले दो-तीन महीनों से देशभर के आदिवासी बहुल प्रदेश या इलाकों में डिलिस्टिंग को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। लगभग दो वर्षों से धीरे-धीरे एक नए मंच का नाम सुनाने को आ रहा है जिस, जनजातीय सुरक्षा मंच कहा जा रहा है। इस मंच ने कितने जनजातीय लोगों को उनके हक़, अधिकार दिलाया या फिर उनकी मूलभूत लड़ाई यानि जल, जंगल, जमीन, खनीज इत्यादि के संघर्ष में साथ दिया इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पर इन दिनों इस संगठन ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है, जिसके अनुसार आदिवासियों को ही गैर-आदिवासी घोषित किया जा रहा है।

बलरामपुर की रैली महज एक अकेला आयोजन नहीं था। विगत कुछ महीनों में ऐसे ही आयोजन देश के कई आदिवासी प्रदेशों में हुए, जिसमें भी यही नारा लग रहा था। इसमें प्रमुखतः मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड,आदि प्रदेशों में देखा गया है। वैसे ओडिशा में आदिवासी ईसाईयों पर हमला लगभग ढाई दशक से चलते आ रहा हैं।

आरएसएस की भूमिका

इस अभियान को प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संचालित कर रहा है। कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद व मंत्री रहे कार्तिक उरांव के पीठ पर सवार होते हुए आरएसएस के झारखंड प्रदेश के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार आजाद का माने तो श्री उरांव हमेशा हिंदूत्व के पक्षधर रहे और धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण देने का विरोध करते रहे। कार्तिक उरांव तीन बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जीवन के अंतिम समय में वे नागरिक उड्डयन एवं संचार मंत्री थे। आजाद आगे कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं और हिंदू संस्कृति के वे अभिन्न हिस्सा हैं। इस तरह से कई आदिवासी महापुरुषों के नाम पर संघ परिवार इस अभियान को हवा दे रही है।

आरएसएस के राजनीतिक इकाई भाजपा के अलावा उसके अन्य सारे संगठन भी इस पूरे अभियान में लिप्त हैं। संघ परिवार इस मसले में शुरुवात से ही इस बात पर अडिंग है कि जो भी भारत में रहने वाला है, वे सभी हिंदू हैं, या फिर वे लोग जो हिंदू नहीं हैं हिंदू संस्कृति को पूर्णतः आत्मसात कर ले। गोलवरकर के अनुसार जो भी खुद को हिंदू नहीं कहता या खुद को हिंदू संस्कृति का हिस्स नहीं मानता, उन्हें भारत में रहने का कोई हक़ नहीं है। हिंदू राष्ट्रवाद का यही आधार है और इसी आधार पर ही आज आदिवासियों को भी गैर-आदिवासी घोषित करने का मुहीम छेड़ा है। गौर फरमाने वाली बात है कि यही रणनीति कम्युनिस्ट, मुसलमान, दलित और ईसाई जो गैर-आदिवासी हैं उनपर भी अपनाया जा रहा है।

क्या होगा डिलिस्टिंग का परिणाम

संघ परिवार के द्वारा संचालित इस आंदोलन के अनुसार जो आदिवासी ईसाई बने हैं उन्हें बरगला-फुसलाकर, पैसा और लालच देकर ईसाई बनाया गया है। वे लोग दुगना लाभ पाते हैं, पहला ईसाई होने का और दूसरा आरक्षण का। 2014 में भारत सरकार द्वारा स्थापित खाखा कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों की स्थिति वही की वहीं है। हालांकि आदिवासी इलाकों में ईसाई संस्थानों के आने से शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में गुणात्मक और संख्यात्मतक परिवर्तन जरूर हुआ, पर सांस्कृतिक परिवर्तन उनके बीच नहीं हुआ।

खाखा कमेटी के अध्यक्ष रहे प्रो. वर्जिनियस खाखा के मुताबिक यह एक ऐसा तरीका है जिसके चलते आदिवासी इलाकों को घटाया जाएगा और परिणामस्वरूप अनुसूचित क्षेत्र को आबादी के आधार पर घटाया जा सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पंचायत (एक्सटेंशन टू सेड्यूल्ड एरिया) एक्ट 1996 (पेसा) और वन अधिकार क़ानून 2006 ऐसे क्षेत्रों में अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। यदि इस आधार पर बाटने की प्रक्रिया जारी रही तो आने वाले दिनों में केवल झारखंड के ही आधे से अधिक हिस्से को अनुसूचित क्षेत्र से डिलिस्टिंग के आधार पर डिनोटिफाई कर उसे सामान्य क्षेत्र के रूप में घोषित किया जायेगा। यदि भारत के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र में ऐसा हुआ तो फिर उत्तर-पूर्व के छठवी अनुसूची वाले राज्यों में भी इनका यही रवैया होंगा। इससे तो सारा देश बर्बाद हो जायेगा। और यह सारा कारनामा सरकार के इशारों पर जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आदिवासियों में भ्रम फैला रहा है।

संघ परिवार का यह षडयंत्र लंबे समय से जारी है कि किस तरह से आदिवासी क्षेत्र

को घटाया जाये ताकि वहां से भी सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ें और जीत कर आएं। डिलिस्टिंग जैसी हरकत इस षडयंत्र का हिस्सा है कि किस तरह हिंदू और हिंदू राष्ट्र के बहाने ब्राह्मणवाद को पूर्ण रीति से आदिवासी इलाकों में फैलाया जाये और उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया जाये। इस चक्रव्यूह में आदिवासियों का कोई स्थान नहीं, केवल उन्हीं आदिवासियों को कुछ स्थान मिलेगा जो संघ के कारनामें के हिस्सेदार बनाने के लिए राजी होंगे।

डिलिस्टिंग के विरोध में लामबंद होते

आदिवासी संगठन डिलिस्टिंग के खिलाफ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ईसाई आदिवासी महासभा ने भी जून 11, 2022 को एक महारैली की। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा की जा रही सार्वजनिक प्रदर्शन और मांग अनुचित है। इस रैली में धर्मान्तिरित आदिवासियों को जनजाति सूचि से बाहर करना संविधान विरोधी करार दिया गया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज डिलिस्टिंग के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा या बयान अभी जारी नहीं हुआ है, पर अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मसले में जल्द ही कोई बड़ा बयान और एक्सन प्रोग्राम की घोषणा की जाएगी।

इस सिलसिले में जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) के संस्थापक और मध्यप्रदेश से भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक हीरालाल अलावा कहते हैं कि डिलिस्टिंग का पूरा मुद्दा फ़र्ज़ी है। डिलिस्टिंग के मुद्दे के ज़रिए आरएसएस आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करने की साज़िश कर रही है। अगर वो इस मुद्दे पर गंभीर हैं तो फिर उन्हें यह मुद्दा नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना चाहिए था। वहां के ट्राइबल ग्रुप में से 90 प्रतिशत ईसाई धर्म को मानते हैं।

यह भी सच है कि आदिवासियों की अपना संस्कृति और धर्म है, पर 1961 के बाद के हर जनगणना में उन्हें स्वाभाविक रीति से हिंदू मानकर चलने लगे। जिन जिन समुदायों का बाहरी हिंदू समुदायों से संपर्क बनने लगा वे ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो धीरे धीरे हिंदू रीति रिवाजों को मानने लगे हैं। इस संदर्भ में अलावा सवाल करते है कि "क्या ऐसे हिंदू रीति मानने वाले आदिवासी समुदायों या परिवारों को भी आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाएगा? यह आरएसएस-बीजेपी का एक राजनीतिक पैंतरा के सिवाय और कुछ नहीं है।"

दूसरी ओर बीटीपी के एक अन्य नेता वेलाराम घोघरा ने आरएसएस के जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से डिलिस्टिंग की मांग का पुरजोर विरोध करने के साथ-साथ आदिवासियों के धर्मकोड को बहाल करने की मांग उठाई है।

क्या कहता है संविधान?

डिलिस्टिंग संपूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ में है। भारत के संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि भौगोलिक परिस्थितियां, पिछड़ापन और परिवेश है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति में नोटिफाइड किया गया है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। यानी आदिवासी न ईसाई, न मुस्लिम, न हिन्दू और न सिख। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालय भी कई आदेश दे चुके हैं। इन आदेशों के अनुसार आदिवासी लोग सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं, और वे अपने इच्छा के अनुरूप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय और उनकी संस्कृति प्रकृति और पूर्वजों की उपसना से अभिन्न रूप से जुड़ीं हैं।

सामान्य तौर पर गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में मान्य कई क़ानून अनुसूचित क्षेत्र में मान्य नहीं है। संविधान के आधार पर जयस जैसे संगठन का मानना है कि कुछ धार्मिक संगठन लगातार आदिवासियों में भय फैला रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार आदिवासियों में धर्मांतरण को मुद्दा बना कर समाज में विभाजन पैदा किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय में डिलिस्टिंग कैंपेन एक भय पैदा करने में कामयाब हुआ है। इस अभियान से एक और तथ्य साफ़ हो रहा है कि इसका दायरा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संगठनों को संविधान के अनुच्छेद 19 (5) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधि. आशिष बेक के अनुसार आदिवासियों के बीच यह सवाल कभी नहीं उठता है, जब उनकी पहचान हिंदू धर्म से संबंधित होती है। कहने के लिए तो उनकी पहचान आदिवासी की है, पर वास्तव में हिंदू ही की है क्योंकि हर एक के जाति प्रमाण पत्र में हिंदू ही लिखा जाता है। यही वजह है कि जैसे ही हिंदू के अलावा और किसी धर्म, उदाहरनार्थ ईसाई धर्म, की बात होती है, तब पूरे के पूरे हिंदू राष्ट्र के प्रचारकों में खलबली मचने लगती है।

बीटीपी के राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता देवेन्द्र कटारा बताते हैं कि अगर डीलिस्टिंग होती है, तो संविधान के अनुच्छेद 244 का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। इससे आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा व विधानसभा सीट खत्म होने के साथ कई प्रकार के नुकसान होंगे।

ईसाई आदिवासी महासभा के अध्यक्ष मुन्ना टोप्पो के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 342 और 342 (1) के आधार पर हर राज्य ने अपनी सूचि निरधारित की है। इस आधार पर 1950 में जारी अनुसूचित जनजाति अध्यादेश (सूचि) मूलतः 1931 में तैयार की गयी आदिम जनजातियां (प्रिमिटिव ट्राइब्स) तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई पिछड़ी जनजातियां (बैकवर्ड ट्राइब्स) की सूचि पर आधारित है। इसे तैयार करते समय भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट जीवन शैली, आदिम अर्थ प्रणाली, रूढ़ी व परंपरायें, विलक्षण रीति-रिवाज, प्रथागत कानून, जनजातीय भाषा का प्रयोग, युवा गृह आदि लक्षणों को ध्यान में रखा गया था। क्या इसे इतनी आसानी से बदला जा सकता है?

इस संदर्भ में पीयूसीएल छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डिग्री प्रसाद चौहान एक और महत्वपूर्ण पहलु की ओर इशारा करते हैं। चौहान का कहना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश के संविधान में समानता के अधिकार के तहत सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद-14 एवं अनुच्छेद-16 उन्हें देश के कानूनों के तहत समान सुरक्षा की गारंटी देता है तथा धार्मिक आधारों पर उनके साथ किसी तरह के भेदभाव का निषेध करता है। लेकिन देश के कई राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता कानून उसके नाम के विपरीत व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में दीक्षित करने पर रोक लगाने हेतु लागू किये गए हैं। यह कानून जितने सरल और हानिरहित लगते हैं, वास्तविकता में उतने हैं नहीं। जहां इस कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित और अपमानित करने की अद्भुत संभावनाएं हैं। वहीं दूसरी ओर, घर वापसी अथवा मूल धर्म में वापसी जैसे धर्म उन्मादी व कट्टरपंथी कृत्यों को इन कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है।

क्या है धर्मान्तरण के बहस का असली कारण? डिलिस्टिंग का मामला धर्मान्तरण के सवाल से उत्पन्न हुआ है। हाल ही में बस्तर संभाग के विगत 3 सालों में हुए कुछ 300 से अधिक धर्मान्तरण संबंधित घटनाओं का अध्यायन किया गया। इसमें से कुछ 40 मामलों में

विस्तृत केस स्टडी भी किया गया। संघ परिवार के विभिन्न संगठनों के द्वारा हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि धर्मान्तरण तरह-तरह के दबाव, प्रलोभन, लालच, जोर-जबरदस्ती, पैसा देकर, धमकाकर किया जाता है। पर हमारे अध्यायन में ऐसा एक भी मसला सामने नहीं आया। इसके विपरीत घर-वापसी के नाम पर धमकी, जोर-जबरदस्ती और दबाव के कई सारे मामले सामने आये।

इस संदर्भ में एक और घटना ध्यान देने योग्य है। विगत 1 अक्टूबर, 2021 को प्रदेश के सरगुजा जिले में सर्व सनातन हिंदू रक्षा मंच ने धर्मान्तरण के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया था। यह आदिवासी हिंदूओं के ईसाई धर्म के प्रति बढती आस्था के खिलाफ था। इसमें मुख्य वक्ता स्वामी परमानंद थे। रैली में आये हुए लोगों को संबोधित करते हुए वह कहते हैं, “मैं ईसाइयों और मुसलमानों के लिए अच्छी भाषा बोल सकता हूं, पर इनको यही भाषा समझ आती है। धर्म की रक्षा भगवान का काम है और यही हमारा काम भी है। हम किसके लिए कुल्हाड़ी रखते हैं? जो धर्मान्तरण करने आता है उसकी मुंडी काटो। अब तुम कहोगे कि मैं संत होते हुए भी नफरत फैला रहा हूं। लेकिन कभी-कभी आग भी लगानी पड़ती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं; जो कोई भी आपके घर, गली, मोहल्ले, गांव में आता है, उन्हें माफ नहीं करना।”

वह आगे ईसायों को सही रास्ते पर लाने का ‘रोको, टोको और ठोको’ का फॉर्मूला भी देते हैं। परमानंद महाराज ऊंचे स्वर में बोलते हैं, “पहले उन्हें (ईसाइयों) मित्र की तरह समझाओ। उन्हें ‘रोको’ और अगर नहीं माने तो ‘ठोको’। मैं उनसे पूछता हूं जो इस धर्म (ईसाई) में चले गए, समुद्र छोड़कर कुएं में क्यों चले गए? इन्हें ‘रोको’, फिर टोको (विरोध) और ठोको।’

डिलिस्टिंग आदिवासियों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाने का नया और बेहतरीन औजार है। आदिवासी इलाकों की एक और विशेषता है कि यह खनीज संपदा से भरपूर है जिसपर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नज़र लंबे समय से है। यदि मध्य भारत के राज्यों को देखें, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्यप्रदेश और विदर्भ, यहां लंबे समय से माओवाद और माओवाद के खात्मे का हिंसा-प्रतिहिंसा का चक्रव्यूह भी जारी है। इन इलाकों में आदिवासी मूलनिवासी लोगों का जल, जंगल, जमीन, नदी, नाला, फल-फूल, कंद-मूल व अन्य संपदा के छीने जाने और उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिए जाने में समाज, सरकार, माओवादी, हिंदूवादी, आदिवासिवादी - किसी को भी संस्कृति के नष्ट या विलुप्त होने का खतरा नहीं दीखता। शायद इन सबके अनुसार संस्कृति का खात्मा केवल ईसाई बनाने से ही होता हैं। ऐसे में इस उलझन को बनाये रखने और उसे बढ़ावा देने का सबसे उचित उपाय है - धर्म, संस्कृति, देवी-देवता, इत्यादि। डिलिस्टिंग इसी उलझन को लंबे समय तक बनाये रखने का एक खतरनाक राजनीतिक रणनीति है।

> धर्म परिवर्तन की बहस और घर वापसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इस बहस में एक नया पहलु डिलिस्टिंग में रूप में भी जुड़ गया है। इसने एक नई खतरनाक प्रवृति को जन्म दिया है जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, और भारत की संवैधानिक अधिकारों की अनिवार्य धर्मनिरपेक्षता दोनों के लिए खतरा है। केंद्र में भाजपा सरकार की वजह से हिंदू राष्ट्र का एजेंडा मजबूत हुआ है, जिसके अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकों के आराधना स्थलों और व्यक्तियों के खिलाफ व्यापक हिंसा के चलते वे बहुत अधिक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं।

2015 में, पी.ई.डब्लू (प्यू) द्वारा किए गए शोध ने बताया कि धर्म से जुड़े उच्चतम सामाजिक शत्रुता के लिए भारत दुनिया में सीरिया, नाइजीरिया और इराक के बाद चौथे स्थान पर था। यह स्थिति आज और भी भयानक हो चुकी है। संवैधानिक रूप से, भारतीय राजनीति और धर्म के बीच के संबंध को धर्मनिरपेक्षता द्वारा परिभाषित किया गया है। हालांकि, भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान अपनी बहसों से रहित नहीं है, जिनमें से कम से कम भारतीय सामाजिक ताने-बाने में जाति व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां सबसे ऊपर हैं। आदिवासी संदर्भ से अनगिनत बुनियादी सवाल उठते हैं, पर इसपर कोई बहस नहीं है। लेकिन भारत को अनिवार्य रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर पूरे समाज को नई रीति के जातिगत गुलामी की ओर धकेलना की तैयारी स्पष्टता से दिख जरूर रही है। ▪

डॉ. गोल्डी एम. जॉर्ज
मो.नं.- 9893277910

ठेले पर पुस्तकालय

सोशल मीडिया पर इधर एक जोक आया कि जिस तरह कावड़ियों के लिए भंडारे और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समय लोग करते हैं, उसी तरह स्कूल के रस्ते में कापी/पेन्सिल की सुविधा हो तो मेरा देश की तरक्की कदम चूमेगी। ये तो हुई मजाक की बात लेकिन अगर कहीं आपको ठेले पर पुस्तकालय भी हो, साग सब्जी, पकोड़ा समोसा भेलपुरी आदि आपने बहुत देखे होंगें पर आईए आपको मिलते हैं रेखा भारती से। ठेले पर किताबों की दुकान चला रहीं हैं। जी हां जनाब! ठेले पर रोज दुकान लगाती हैं और शाम को बंद करती हैं, लेकिन ठहरिये! इस दुकान पर बस स्टैंड की ठेले पर बिकने वाली जीजा- साली के चुटकुले, वर्दी वाला गुंडा, सच्ची कहानिया, मर्दाना कमजोरी कैसे दूर करें या सफलता के सरल सूत्र, नहीं बल्कि यहाँ आपको गुलामगीरी, अम्बेडकर साहित्य और मानवीय मूल्यों से जुडी मूल्यवान किताबें मिल जाएँगी|

रेखा भर्ती वैसे तो सामान्य भारतीय घरेलू महिला हैं। अच्छी पढाई की, ला की डिग्री लीं, रेलवे में नौकरी वाले से शादी हो गई तो भारतीय हिसाब से एक सामान्य महिला के अरमान पूरे होने लगे, विशेषकर 70 के दशक में पैदा होने वालों के लिए। रेखा भारती के पति का एक्सीडेंट हुआ एक साल पहले पति के साथ उनको आफिस जाना मजबूरी हो गयी। इसी मजबूरी को रेखा भारती ने कब और कैसे मजबूती में बदला यह हमारे बसावन इंडिया के सख्सियत कालम में जगह पाने की वजह बना।

रेखा भारती (एडवोकेट)
कार्य- साहित्य संसार नाम से बहुजन महापुरुषों की बुक शाप, गीत लेखन एंव गायन, 'संविधान नामा' नामक यूट्यूब चैनल का संचालन
पता- न्यू शांतिपुरम आलमबाग लखनऊ
मों. न. – 9621206371

लखनऊ के आलमबाग में एक सामान्य चहल-पहल वाले इलाके में रेखा भारती के ठेले पर पुस्तकालय आसपास के ठेले वालों से इस मायने में अलग है कि उनके पास दूर-दूर से लोग किताबें लेने आ आते हैं। उनकी दुकान पर आप 20 मिनट में अगर किताब देखते खरीदते हैं तो वह फोन पर लोगों को रास्ता बताती सुनी जा सकती हैं कि इधर से दाएं मुड़ कर रेलवे कारखाने के बगल .. हां हां, आ जाइए..सुन सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस की कुल किताबें पंद्रह- बीस हज़ार की होंगी और वही जमा पूंजी है जिससे उन्होंने अपना ठेला पुस्तकालय शुरू किया लेकिन आज उनके घर पर किताबों का स्टोर बढ़ता जा रहा है। रेखा भारती विभिन्न कार्यक्रमों, मेंलों आदि में अपनी किताबें लेकर पहुंच जाती हैं। लखनऊ के बाहर भी कार्यक्रमों में लोग उन्हें किताबों के साथ बुलाते हैं।

सामाजिक न्याय के सिपाही
- लालू प्रसाद यादव साहब।
मंडल से कमंडल रोके, हमरे
लालू साहब हो !
सामजिक न्याय के सिपाही,
हमरे लालू साहब हो !
फूले पढ़े तो ज्योति सावित्री
बनाएं,मुख्यमंत्री लालू महिला
प्रतिनिधि बनाए !
विधानसभा देवी रावड़ी संह्वे
गइले लालू साहब हो !
संसद में जब पूछे लालू
सवाल हो, गावं के लोग बोले
बढ़िया ख्याल हो !
जे के पूछे न समाज ओकर
लालू साहब हो !
साहब कांशीराम सहें करे
जब बात हो, देशवा के डोरी
थामें अपनों जमात !
लायक लाल हमरे धरती क
लालू साहब हो !

रेखा भारती अच्छी गायिका भी हैं। उनकी पूरी टीम है जो विशेष रूप से अंबेडकरवादी गीतों को गाने के लिए जानी जाती है, लेकिन ठेले पर किताबों को लेकर रेखा भारती ने जैसे अंबेडकरवादी मिशन चलाने लिए ठेले पर हिमालय रख लिया है।रेखा भर्ती का एक लालूप्रसाद यादव पर एक गीत लिखकर बसावन इंडिया को भेजा था। बसावन इंडिया उसे प्रकाशित कर रही है। ▪

बसावन इंडिया डेस्क

पेड़ वाले चाचा

दस हजार से अधिक पौधे लगाए

बरसात के मौसम में विशेष रूप से पौधरोपण करने वाले राममूरत अब तक दस हजार से अधिक पेड़ लगा चुके हैं।। जो भी उनसे मिलने जाता है उसे अपने इस कार्य में भागीदार बनने का मशविरा देते हैं। धरा को हरा-भरा बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

साइकिल पर हमेशा कई पौधों और कुदाल-फावड़ा लेकर ही घर से निकलने की आदत से ही वह पेड़वाले चाचा के नाम से इलाके में मशहूर हो गए। क्षेत्र में पेड़ वाले चाचा परिचय के मुहताज नहीं हैं। उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ देकर जाएँ। कभी कताई मिल की मशीनों के साथ जूझने वाले राममूरत यादव ने वीआरएस लेने के बाद पृथ्वी को हरा-भरा बनाने का संकल्प लिया। गांव-गांव जाकर पेड़ लगाना शुरू किया।

प्रयागराज के बहरिया विकासखंड के चक शयाम निवासी राममूरत यादव मऊआइमा सहकारी कताई मिल में कर्मचारी रहे। वहां से वीआरएस लेने के बाद गांव में ही पेड़ों की नर्सरी डाली। अपने ही नर्सरी में उगाए गए पेड़ वह दूर दराज खाली स्थानों, बंजर जमीनों, विद्यालयों एवं दोस्तों के घरों पर रोपित करने लगे। वह रोज साइकिल पर कई पौधे फावड़ा-कुदाल दांगकर निकल पड़ते हैं। खाली जगहों पर उन पौधों को रोपित कर देते हैं धीरे-धीरे यही उनकी पहचान हो गई। बच्चे उन्हें पेड़ वाले चाचा कहने लगे। आसपास के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज व अन्य संस्थानों के लोग भी अपने यहां पौधरोपण के लिए राममूरत यादव को आमंत्रित करते हैं। पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ से भी उन्हें पौधरोपण के लिए बुलावा आता है। एक बार उन्होंने अपनी ग्राम सभा से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीते भी लेकिन दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। अब तो नि:स्वार्थ समाज सेवा करने और पौधा रोपण को ही अपना पेशा बना लिया। इसी कड़ी में उन्होंने घर से कुछ दूरी पर ग्राम पंचायत की पांच बिस्वा बंजर जमीन को चुना और वहां पेड़ पौधे लगाने लगे। दो साल में 70 पौधे जिसमें आम, महुआ, शीशम, पाकड़ के तैयार हो गए। गांव के बच्चे और दूर-दराज से आए मेहमान भी उनकी इस बगिया को देखने जाते हैं।

कई संस्थाओं नेकिया सम्मानित

राम मूरत यादव को सेवाभावी संस्था नोइंग सिटीजंस नीड क्लब, केसीएन क्लब ने सम्मानित भी किया था। इसके अलावा उन्हें स्कूल कॉलेज में भी बुला कर सम्मानित किया जाता है। इलाके के शिक्षण संस्थानों में पेड़ वाले चाचा पौधे लगाते रहते हैं।

– बसावन डेस्क

एनसीईआरटी की किताबों में स्लैबस की कटौती

बासुदेव यादव
पूर्व शिक्षा निदेशक (पूर्व एमएलसी)
उत्तर प्रदेश

एनसीईआरटी स्लेबस को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। स्लेबस और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। ऐसा तो हैं नहीं कि एन सी इ आर टी स्लेबस से हटा देने पर ग दंगों की भयावहता कम हो जाएगी। भाई चारा आपस में विकसित हो,स्लेबस में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए। बच्चों का इन सबके प्रति समझ बढ़े आपस में भाईचारा,प्रेम सौहार्द कैसे विकसित हो इसका प्रयास होना चाहिए। सरकार कुछ खास खास मुद्दों को हटाने को ही हटा रही है ऐसा करके एक विशेष विचारधारा के एजेंडे को प्रमोट कर रही है। एक विशेष प्रकार के विचारों को बच्चों के मान में ठूंसने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा देश बहु भाषी,बहु सास्कृतिक, बहु धार्मिक है बच्चों को इन सभी के बारे में जानना चाहिए|

भारतीय राजनीति: नए बदलाव

"इन कार्यवाहियों से उन विनाशकारी घटनाओं की अनुगूँज सुनाई देती है, जिनकी परिणति 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या स्थित रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के विवादित ढाँचे के ध्वंस में हुई थी। हजारों निर्दोष नागरिकों ने जान गँवायी, धन-संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और इससे भी भारी क्षति तो यह हुई कि इस महान भूमि की छवि को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धक्का पहुँचा कि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, विश्वास और भाईचारे की महान परंपरा का पालन-संवर्धन किया जाता रहा है।

दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री को अदालत की अवमानना के अभियोग का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है। हम उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हैं। चूँकि इस 'अवमानना' से ऐसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं, जिनका असर हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की बुनियाद पर पड़ता है, इसलिए हम उसे एक दिन के प्रतीकात्मक कारावास का दंड भी देते हैं।"

मुख्य न्यायाधीश वेंकटचेलैया और न्यायमूर्ति जी.एन. रे (सर्वोच्च न्यायालय)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद् के सामने वायदा किया था कि 'रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद' ढाँचे की रक्षा की जाएगी। इस वायदा खिलाफी से जुड़े एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला।
मो. असलम बनाम भारत संघ, 24 अक्तूबर 1994

इसी अवधि में चुनावी उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस वायदे पर आधारित है कि सभी धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर आधारित दल नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द के इस लोकतांत्रिक माहौल को 1984 के बाद से कई दफा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हम आठवें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ऐसा 1984 के सिख-विरोधी दंगों में हुआ। ठीक इसी तरह 2002 के फरवरी-मार्च में गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा भड़की। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ़ ऐसी हिंसा और दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव लोकतंत्र के ऊपर खतरा है।

गुजरात के दंगे

2002 के फरवरी-मार्च में गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कारसेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। सत्तावन व्यक्ति इस आग में मर गए। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगायी होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों

एनसीईआरटी की किताबों में स्लैबस की कटौती को लेकर बसावन इंडिया ने अपने पिछले अंक में एक विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन किया था। सरकार ने कक्षा 9 और 10 में लगभग 50% सिलेबस को निकल कर बाहर कर दिया है। 9 वीं और 10 वीं कक्षा के साथ ही साथ 12 वीं के स्लेबस में कटौती की गयी है। बारहवीं कक्षा में राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को अब 2002 के गुजरात दंगों के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा।

वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन पर आग लगाने की घटना हुई थी, जिसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है, इस घटना में 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में भारी दंगे भड़क उठे थे। इनका ज़िक्र एनसीईआरटी की बारहवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब के नौवें अध्याय में था। एनसीईआरटी गुजरात दंगे के अलावा किताब से भारत में आपातकाल से संबंधित अध्याय को भी हटा रहा है।

हिंदी मासिक पत्रिका बसावन इंडिया द्वारा स्लेबस में हो रहे इन बदलावों पर लगातार

रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है।

लेकिन सबसे पहले यह जानना चाहिए कि अब तक एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की किताब में गुजरात दंगे के बारे में क्या पढ़ाया जाता रहा था?

एनसीईआरटी की बारहवीं की राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय नौ, भारतीय राजनीति में हाल के विकास पर आधारित था। इसमें 1990 के दशक और उसके बाद के वर्षों में भारतीय राजनीति पर जानकारी दी गई थी।

इस पाठ में छात्रों को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, मंडल आयोग जैसे मुद्दों की जानकारी दी गई थी।

पाठ में विस्तृत तौर पर उस दौर की गठबंधन राजनीति की बातों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसमें गुजरात दंगों की बातों के बारे में भी बताया गया था।

इस अध्याय में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा शामिल थी, जिसमें देश में हिंदूत्व की राजनीति की शुरुआत, अयोध्या मामला, बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच को जलाना और आने वाले साम्प्रदायिक दंगे इत्यादि शामिल थे।

छात्रों में मुद्दों की बेहतर समझ बने, इसके लिए इस अध्याय में उस समय की अंग्रेज़ी प्रिंट मीडिया की हेडलाइन की पेपर कटिंग को भी शामिल किया गया था, जिसमें 'गुजरात इज़ बर्निंगः एन आई फॉर ए आई ब्लाइंड्स गांधीनगर', 'गुजरात कांड में कोई कसर नहीं छोड़ी', 'गुजरात कांड', 'ए ब्लॉट-पीएम' जैसी सुर्खियों की कटिंग का इस्तेमाल किया गया था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा था, वह भी इस अध्याय में शामिल किया गया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से 'राजशाही के पालन' के बारे में बात की थी।

अब इन सभी विवरणों को इस साल से हटा लिया गया है।

गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। उस वक्त अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के बॉगी एस-6 में गोधरा में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की मौत हुई थी, इसके बाद गुजरात में व्यापक हिंसा हुई थी।

इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आलोचना भी हुई थी।

सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 2002 में गुजरात में हुई हिंसा में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए थे। 223 लोग लापता हो गए और 2500 घायल हुए थे. इसके अलावा सैकड़ों करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुक़सान हुआ।

गुजरात दंगे की भयावहता और लोगों की दुर्दशा की एक ज्वलंत तस्वीर अभी तक लोगों के ज़ेहन में छपी हुई है, जिसमें एक आदमी रो रहा है और हाथ जोड़कर मदद मांग रहा है। ये तस्वीर अहमदाबाद में रहने वाले कुतुबुद्दीन अंसारी की थी और इस तस्वीर ने गुजरात में हुई हिंसा की तरफ़ देश-दुनिया का ध्यान खींचा था।

मैत्रेयी सिंह
मो.नं.- 9453790069

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe
ACCEPTED HERE
Scan & Pay Using PhonePe App

☐ वार्षिक ₹ 300/- ☐ 2 वर्ष ₹ 500/- ☐ 5 वर्ष ₹ 1000/-
☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10,000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

बसावन इंडिया को भी हमने इसी तरह बढ़ते देखा...

तस्वीर में आप एक टमाटर के पौधे को देख रहे होंगे, बस इसी तरह मैने भी बसावन इंडिया को बढ़ते हुए देखा है, शायद किसी यात्री ने टमाटर खाकर उसके बीज को ट्रेन से फेंक दिया होगा... ये पौधा मिट्टी की छाती फाड़कर नहीं बल्कि पत्थरों को चीरकर बाहर आया है।

जब ये और भी नन्हा सा होगा, तब शताब्दी ओर राजधानी जैसे तूफान से भी तेज दौड़ती ट्रेनों के बिल्कुल पास से गुजरते हुए भी इसने सिर्फ बढ़ना सीखा ओर बढ़ते बढ़ते आखिर कार इसने एक टमाटर को जन्म दे ही दिया।

न हाथ है, न पांव है, न ही दिमाग है, और तो और इसको जीवित रहने के लिए कम से कम मिट्टी और पानी तो मिलना चाहिए ही था, जो इसका हक भी था लेकिन इस पौधे ने बिना जल, बिना मिट्टी के, बिना सुविधा के अपने आपको बड़ा किया... फला फूला और जीवन का उद्देश्य इसने पूरा किया।

जिन लोगों को लगता है कि जीवन में हम तो असफल हो गए हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बस अब बरबाद हो ही चुके है, तो उन्हें इस टमाटर के पौधे से और बसावन इंडिया से कुछ सीख लेनी चाहिए।

असली जीवन का नाम ही लगातार संघर्षों की कहानी है ।

श्रीमती आफरिन खान, रायपुर (छ.ग.)

बसावन इंडिया पत्रिका लोगों के दिलों में बस रही है। इसमें छपे लेख हमारा ध्यान उस तरफ भी ले जाते है जिन चीजों को हम देख नहीं पाते है। बस इसी कारण से बसावन इंडियान अपने आप में एक अलग से पहल के साथ अपना संपादन कर रही है। हम बसावन इंडिया पत्रिका का साधन्यवाद करते है।

- डॉ. मानसिंह

में कई पत्रिकाओं का सदस्य हूँ और कई पत्रिकाएँ मेरे यहाँ आती है। यह उन सबसे अलग है। बसावन इंडिया में छपे लेख बहुत सरल और तार्किक होते हैं। इसकी वजह यह से पत्रिकाओं से अलग करती है। बसावन इंडिया पत्रिका की रिपोर्ट और इसके लेख मौलिक होते हैं, मैं पूरी बसावन इंडिया टीम को बहुत बु बधाई देता हूँ।

- डॉ. अतुल कटियार

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें

देशराज एडवोकेट (लखनऊ)
9454411702

परिभाषा (दिल्ली एनसीआर)
8826063330

तेजबहादुर (भोपाल)
9406955327

कृष्णा पैकरा (रायपुर)
8839884273

संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875

श्री कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539

राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600

अनिल दीप चौधरी (जौनपुर)
9554687948

प्रमोद कुमार (जौनपुर/खुटहन)
9506473500

प्रदीप चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300

अरविंद कुमार (ज्ञानपुर भादोंही)
8005103484

प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054

संजय कुमार (चंदौली)
9415978381

मनोज कुमार (सोनभद्र)
9005800506

विनय कुमार (बलिया)
9415659396

विजय कुमार (वाराणसी)
9506722313

अरविंद कुमार गदर (प्रयागराज झूसी)
7651961448

प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हीना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

राधा पुस्तक वाटिका
यू.जी.एफ-5, अनन्त टावर, पहाड़पुर, चौराहा,
कुर्सी रोड, जानकीपुरम, लखनऊ (उ.प्र.)
नर्सरी इण्टरमीडिएट तक
C.B.S.E., I.C.S.E. एवं
UP Board की किताबें
9532227400 | 9621931008 | 9935004236
स्टेशनरी व स्पोर्ट्स के थोक विक्रेता

K.B.S.
TRAVELS
राजे सुल्तानपुर से इलाहबाद
प्रात: 04:30 बजे
इलाहबाद से राजे सुल्तानपुर
दोपहर 01:00 बजे
सुविधाए -
• महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें
• वाजिब सफर शुल्क
• सुरक्षित एवं सहयोगी स्टाफ
• प्राथमिक उपचार किट
प्रो. - हरीश यादव
संपर्क सूत्र
+91 9198320072
K.B.S.TRAVELS

जातीय जनगणना रिपोर्ट
ग्राम सभा-चक श्याम उर्फ़ पुरे हिंछा, प्रयागराज

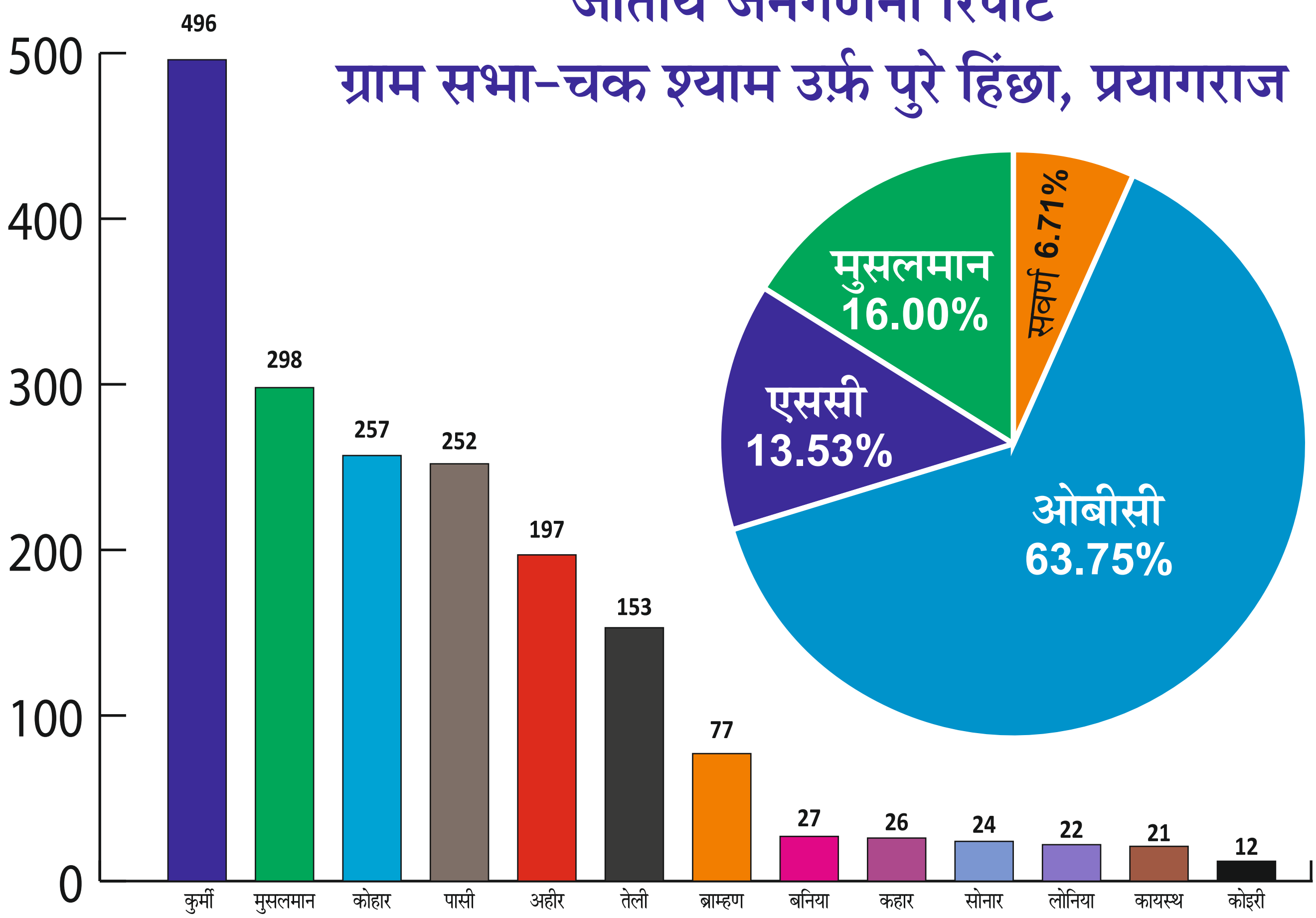

प्रस्तुत ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 13 पढ़ें।